रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 876] नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2012/वैशाख 19, 1934
No. 876] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2012/VAISAKHA 19, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2012

का.आ. 1040(अ).— दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि त्रिपुरा के संगमों नामत: नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के दिनांक 26.03.2012 के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/64/2011-एन ई III]
शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

माननीय न्यायाधीश विपिन सांघी
की अध्यक्षता वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण
के समक्ष

के संदर्भ में: नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एसोशिएशन

भारत सरकार द्वारा उनकी दिनांक 24.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2427 (अ) के तहत गठित अधिकरण की रिपोर्ट

नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एसोसिएशन (जिनको

इसमें इसके बाद "एन एल एफ टी" एवं "ए टी टी एफ" कहा गया है) के राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों अर्थात् भारत संघ से त्रिपुरा को अलग करके एक पृथक देश बनाने संबंधी क्रियाकलापों, जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरनाक हैं, को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3.10.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2299 (अ) के तहत एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ और साथ ही उनके सभी गुटों, विंगों एवं अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित 3.10.2011 की अधिसूचना निम्नलिखित है।

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 अक्तूबर, 2011

1. का.आ. 2299 (अ). - यत: नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा उसके विभिन्न विंगों (जिसे इसमें इसके पश्चात् एन एल एफ टी कहा गया है) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात् ए टी टी एफ कहा गया है) का घोषित उद्देश्य त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना और इस प्रकार त्रिपुरा को भारत से अलग करना है;

2. और यत:, ए टी टी एफ तथा इसका राजनैतिक विंग द त्रिपुरा पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट त्रिपुरा के भारत संघ में विलय का विरोध करते रहे हैं तथा त्रिपुरा के भारत में विलय को 'अवैध' बताते हुए तथा त्रिपुरा की 'संप्रभुता एवं स्वतंत्रता' का समर्थन करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य भूमिगत संगठनों के साथ संयुक्त वक्तव्य जारी करते रहे हैं;

3. और यत: केन्द्र सरकार का मत है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ -

> अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है और लोगों में डर एवं आतंक फैलाया है;

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम और मणिपुर के मैतई उग्रवादी गुटों जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे संबंध स्थापित किए हैं;

हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं;

4. और यत:, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उनकी हिंसक एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं-

नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करना;

त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन वसूली;

सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना;

त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर-जनजातीय समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करना एवं उसमें वृद्धि करना;

5. और यत:, केन्द्र सरकार का यह मत है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के खतरनाक हैं तथा ये विधिविरुद्ध संगम हैं;

अत:, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) को इसके सभी गुटों, शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को इसके सभी गुटों, शाखाओं और प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

6. और यत:, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ पर तत्काल प्रतिबंध एवं नियंत्रण न लगाया गया तो इन संगठनों को निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगा:-

अलगाववादी, विद्रोही एवं हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काडरों को लामबंद करना;

भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्र की अखंडता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;

नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर-कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से जबरन धन वसूली तथा बड़ी राशि इकट्ठी करना।

7. और यत:, उपर्युक्त स्थितियों के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को इसके सभी गुटों, विंगों तथा मुख्य संगठनों के साथ तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है; और तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 11011/64/2011-एनई-III]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद संक्षेप में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5(1) में यथा उपबंधित, भारत सरकार द्वारा उनकी दिनांक 24 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2427 (अ) के

तहत मेरी नियुक्ति एक सदस्यीय अधिकरण के रूप में की गई और यह न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन से कि क्या एन एल एफ टी और ए टी टी एफ संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना मुझे भेजी गई थी।

निर्देश प्राप्त होने के बाद, दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को प्रारंभिक सुनवाई हुई, जिस तारीख को एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को नोटिस जारी किए जाने का निदेश दिया गया था जिनमें ऐसे नोटिस तामील करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उनको विधिविरुद्ध क्यों नहीं घोषित किया जाए। उपर्युक्त संगमों को उस क्षेत्र में, जहां संगमों के प्रतिष्ठापन या उनकी मौजूदगी त्रिपुरा राज्य एवं उसके बाहर ज्ञात अनुसार है, प्रकाशित स्थानीय समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रानिक मीडिया (रेडियो, दूरदर्शन एवं त्रिपुरा राज्य की सरकारी वेबसाइट) में प्रकाशन द्वारा उपलब्ध पते पर नोटिस देकर और उक्त संगमों के कार्यालय, यदि कोई हो, के महत्वपूर्ण स्थानों पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तथा जहां संभव हो, संगमों के प्रधान पदाधिकारियों, यदि कोई हों, को उनके पते पर पंजीकृत डाक या अन्यथा ऐसे नोटिस की प्रति भेजकर नोटिस तामील किए जाने का निदेश दिया गया था। त्रिपुरा राज्य के लिए वकील, श्री गोपाल सिंह के अनुरोध पर नोटिस को दो स्थानीय समाचार-पत्रों 'दैनिक देशर कथा" और "दैनिक संबाद" में प्रकाशित किए जाने का निदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, यह निदेश दिया गया था कि ऐसे क्षेत्रों जहां उक्त संगमों के क्रियाकलाप सामान्यतया चलाए जाते हैं, में, नोटिस की विषय-वस्तु एवं अधिकरण के संविधान की अधिसूचना के बारे में ड्रम बजाकर एवं लाउडस्पीकरों द्वारा उदघोषणा की जाएगी। नोटिसों को जिला या तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय एवं उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और यथा संभव बाजार के स्थानों पर चिपकाए जाने का भी निदेश दिया गया था। नियत की गई अगली तारीख 22 दिसम्बर, 2011 थी।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को श्री जे. पी. एन. सिंह, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि अधिकरण द्वारा जारी नोटिसों का अधिकरण के निदेशानुसार व्यापक प्रचार किया गया है। बंगाली में प्रेस रिलीज की प्रति तथा समाचार-पत्रों अर्थात् दिनांक 29.11.2011 को "दैनिक देशर कथा" और दिनांक 29.11.2011 का 'दैनिक संबाद' में छपे अंश की प्रतियां भी हलफनामे के साथ संलग्न की गई थीं।

श्री एस. के नंदी, ज्वाइंट रेजीडेंस कमिश्नर, त्रिपुरा सरकार ने भी दिनांक 22.12.2011 को सेवा हलफनामा, प्रदर्श पी-16/1, दायर किया था। विभिन्न जिला प्रशासनों द्वारा भेजी गई सेवा रिपोर्ट की पक्की नकल भी उक्त हलफनामा के साथ संलग्न की गई थीं। पाँच स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् दैनिक संबाद, दैनिक देशर कथा, बिबेक, प्रदिबादी कलाम एवं आजकल में भी नोटिसों को प्रकाशित किया गया था, जिनकी प्रतियां उक्त हलफनामे के साथ संलग्न की गई थीं। आकाशवाणी, अगरतला एवं दूरदर्शन, अगरतला के जरिए व्यापक प्रचार किया गया था। तथापि, संगठनों के पदाधिकारियों को सीधे ही या उनके संबंधित कार्यालयों में नोटिस तामील नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसे कार्यालयों या पदाधिकारियों की अवस्थिति ज्ञात नहीं थी।

दायर किए गए सेवा हलफनामों को पढ़ने तथा भारत संघ एवं त्रिपुरा सरकार के वकील को सुनने के बाद मुझे इस बात की संतुष्टि हो गई कि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को जारी किए गए नोटिस आदेशित तरीके से विधिवत तामील किए गए थे। चूंकि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और उनके लिए एवं उनकी ओर से कोई उत्तर/आपत्तियां दर्ज नहीं कराई गई थीं, इसलिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को दस्तावेजों सहित साक्ष्य के तौर पर हलफनामे दायर करने का निदेश दिया गया था। त्रिपुरा राज्य के लिए एवं उनकी ओर से साक्ष्य के तौर पर हलफनामा, श्री एस. के. नंदी, ज्वाइंट रेजीडेंट कमिश्नर, त्रिपुरा सरकार द्वारा दिनांक 27.01.2012 को दायर किया गया था जिसे प्रदर्श पी-16/2, के रूप में दिखाया गया है और केन्द्रीय सरकार के लिए और उनकी ओर से साक्ष्य के तौर पर हलफनामा, श्री जे. पी. एन. सिंह, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.02.2012 को दायर किया गया था जिसे प्रदर्श पी-15 के रूप में दिखाया गया है। दिनांक 16 फरवरी, 2012 को निम्नलिखित मामला बनाया गया:

"क्या नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है या नहीं।"

मामले को अगरतला, त्रिपुरा राज्य में 2 एवं 3 मार्च, 2012 को साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

केन्द्रीय सरकार एवं त्रिपुरा राज्य द्वारा दायर किए गए हलफनामे में दोनों ने उस पृष्ठभूमि को उजागर किया है जिसमें एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को इस अधिनियम के अंतर्गत विधिविरुद्ध घोषित करते हुए अधिसूचना पारित की गई थी।

यह सिद्ध करने के लिए कि उपर्युक्त राय बनाने के लिए और इस बात की संतुष्टि की दृष्टि से कि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को सही में विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी, श्री जे.पी.एन. सिंह, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने हलफनामे में अभिसाक्ष्य दिया कि एन एल एफ टी का गठन जून 1989 में और ए टी टी एफ का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। इन संगमों का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर त्रिपुरा को स्वतंत्र करके एक पृथक देश स्थापित करना है जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 (ण) (झ) के अंतर्गत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप है। एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को प्रारंभ में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 3 अप्रैल, 1997 से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था तथा इसके बाद इन संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था। एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ के मुख्यालय बांग्लादेश में हैं और इन संगठनों के छिपने के स्थान एवं आश्रय उसी देश में हैं जहां से उनके द्वारा त्रिपुरा में हिंसक घटनाओं की योजना बनाई गई है तथा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। एन एल एफ टी का पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों विशेषकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इस्साक-मुहवाह) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं तथा ए टी टी एफ का हथियारों के प्रापण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए यूनाइटेड फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) आफ मणिपुर और काम्तापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (के एल ओ) के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। ये संगठन कथित रूप से पाकिस्तान के आई एस आई के साथ भी संबंध कायम रखे हुए हैं।

श्री जे. पी. एन. सिंह ने भी साफ-साफ कहा है कि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ दोनों त्रिपुरा की प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसा का सहारा लेने में विश्वास करते हैं। एन एल एफ टी सामान्यतया गैर आदिवासी एवं पुलिस/सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाते हैं किंतु वे उनके राष्ट्र विरोधी अभियान का विरोध करने वाले आदिवासियों पर भी हमला करने में नहीं हिचकते।

पिछले कुछ वर्षों में ए टी टी एफ के नेताओं के बीच मतभेद के कारण उसके हिंसक क्रियाकलापों में काफी कमी आई है किंतु वे इस बहाने से बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं कि वे बातचीत में तभी भाग लेंगे जब यह बात-चीत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की उपस्थिति में त्रिपुरा की संप्रभुता पर आयोजित होगी।

श्री जे. पी. एन. सिंह ने अपने हलफनामे के साथ अनुलग्नक क-1 से क-5 दायर किए हैं जिनमें एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ द्वारा की गई हिंसक घटनाओं का ब्यौरा है। इन घटनाओं का उल्लेख त्रिपुरा राज्य की ओर से दायर किए गए हलफनामे, प्रदर्श पी-16/2 में भी किया गया है और इससे बाद में निपटा जाएगा।

अपने मामले को न्यायोचित ठहराने के लिए कि एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ अभी भी विधिसम्मत कार्य में लगे सुरक्षा बलों के विरुद्ध अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध, जबरन धन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, निर्दोष लोगों की हत्या, आदि जैसे विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं, श्री एस.के. नंदी, ज्वाइंट रेजिडेंट कमिश्नर, त्रिपुरा सरकार ने एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ के संविधान की प्रतियां, जबरन धन की वसूली/कर नोटिस, बांग्लादेश में स्थित उग्रवादी कैंपों की सूची, उनकी नफरी एवं गोलाबारी क्षमता, पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान उग्रवादी संबंधी मामलों के आंकड़े दर्शाने वाला चार्ट, इन संगठनों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई प्राथिमिकियों की प्रतियां और गिरफ्तार किए गए/आत्म समर्पण किए उग्रवादियों की पूछताछ संबंधी रिपोर्टों की सही प्रतियों सहित त्रिपुरा राज्य सरकार के लिए एवं उनकी ओर से एक हलफनामा, प्रदर्श पी-16/2, दायर किया है।

अधिकरण की बैठक 2 मार्च, 2012 को अगरतला में आयोजित की गई, जब निम्नलिखित 14 गवाहों का साक्ष्य दर्ज किया गया:

1. श्री सारादिन्दू चौधरी, उप सचिव, गृह विभाग, त्रिपुरा सरकार, पी डब्ल्यू-1;
2. श्री उत्तम कुमार मजूमदार, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-2;
3. श्री किरण शंकर चौधरी, उप पुलिस निरीक्षक, थाना बुधजंग नगर, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-3;
4. श्री दिपेन्द्र देबबर्मा, उप पुलिस निरीक्षक, थाना-नटुन बाजार, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-4;
5. श्री काजल रुद्र पॉल, उप पुलिस निरीक्षक, रिजर्व अधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कैलासहर, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-5;

6. श्री नकुल देबबर्मा, उप निरीक्षक, थाना-कैलासहर, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-6;
7. श्री गणेश चौधरी देब, उप निरीक्षक, थाना-अम्बास्सा, धलाई, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-7;
8. श्री शुभ्रांग्शू भट्टाचार्जी, उप निरीक्षक, थाना-नेपालटिल्ला, धलाई, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-8;
9. श्री सुजीत बर्मन, उप निरीक्षक, थाना-अम्बास्सा, धलाई, त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-9;
10. श्री मनोरंजन देबबर्मा, पुलिस निरीक्षक, थाना-राधापुर, पश्चिमी त्रिपुरा, पी डब्ल्यू-10;
11. श्रीमती मलिका देबबर्मा, पी डब्ल्यू-11;
12. श्री माणिक चौधरी, पी डब्ल्यू-12;
13. श्री अभिजीत सरकार, पी डब्ल्यू-13 एवं;
14. श्री बाबुल दास, उप निरीक्षक, थाना अम्बास्सा, धलाई जिला, पी डब्ल्यू-14

पी डब्ल्यू-1, श्री सारादिन्दू चौधरी, उप सचिव, गृह विभाग, त्रिपुरा सरकार ने दिनांक 27.02.2012 को हलफनामा प्रस्तुत किया जिसको पी-1 के रूप में दिखाया गया था। एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ को नोटिस तामील किए जाने को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सिद्ध किया कि:

(i) नोटिस को तामील किए जाने की पुष्टि करते हुए प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों को भेजे गए पत्र, राज्य की ओर से दिनांक 22.12.2011 को दायर किए गए हलफनामे के पृष्ठ 4-7 पर प्रदर्श पी-1 (कॉली)/डब्ल्यू-1;

(ii) पाँच स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक संबाद", "दैनिक देशर कथा", "बिबेक", "प्रदिबादीकलाम" और "आजकल" में प्रकाशित प्रेस क्लिपिंग्स एवं नोटिसों की प्रतियां राज्य की ओर से 22.12.2011 को दायर किए गए हलफनामे के पृष्ठ 8 से 12 पर प्रदर्श पी-2 (कॉली)/डब्ल्यू-1,

(iii) नोटिसों के समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं मीडिया में प्रसारण की पुष्टि करने वाले दिनांक 07.12.2011 के पत्र की प्रतियां, 22.12.2011 के उपर्युक्त हलफनामे के पृष्ठ 13 एवं 14 पर प्रदर्श पी-3 (कॉली)/डब्ल्यू-1;

साक्ष्य के तौर पर दायर अपने हलफनामे में उन्होंने दोहराया कि त्रिपुरा राज्य, जो पहले रजवाड़ा था, का अक्तूबर, 1949 में भारत संघ में विलय किया गया था। विलय के बाद त्रिपुरा, भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है। तथापि, अपने पृथकतावादी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ए टी टी एफ एवं एन एल एफ टी और उनके गुटों ने नागरिक व्यवस्था के साज-सामान से "पृथक पीपल्स रिपब्लिक गवर्नमेंट" के लिए गैर कानूनी ढंग से एक अलग संविधान अपनाया है। उन्होंने नियमित सेना की तर्ज पर पदानुक्रम व्यवस्था सहित एक पृथक सशस्त्र विंग भी

बना रखी है। वे व्यापक विनाश की क्षमता वाले अत्याधुनिक हथियारों सहित हथियारों से लैस हैं।

उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य उभर कर आया है कि ए टी टी एफ/एन एल एफ टी के सदस्य अपने गुटों के साथ विध्वंसक कार्रवाइयों में संलिप्त हैं और इसके लिए उत्तरदायी हैं। भारत संघ से त्रिपुरा को 'आजाद' करके एक स्वतंत्र 'बोडोलैंड त्रिपुरा' की स्थापना के अपने घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ तथा इनके गुट पृथकतावादी एवं विध्वंसक कार्रवाइयों में संलिप्त रहे हैं जिससे देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है, राज्य की लोक व्यवस्था एवं विकास बाधित होता है और लोगों के बीच दहशत पैदा होती है। इन्होंने बारूदी विस्फोटक (लैंड माइंस), राकेट लांचर, आर पी जी आदि जैसे खतरनाक हथियार प्राप्त कर लिए हैं जिनका वे सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रयोग करते हैं। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है।

उन्होंने यह भी बयान दिया कि पिछले गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के दौरान ए टी टी एफ एवं एन एल एफ टी दोनों ने इन समारोहों के बहिष्कार करने का आह्वान किया था तथा समारोह मनाए जाने हेतु आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से आम लोगों को रोकने के लिए त्रिपुरा के अंदरूनी इलाकों में काले झंडे लहराए थे।

सरकारी गवाह 2- श्री उत्तम कुमार मजुमदार, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, त्रिपुरा ने साक्ष्य के तौर पर, प्रदर्श पी-2 के रूप में दायर दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र में वर्णित विषयों की जांच की। उन्होंने निम्नलिखित की भी रिकार्ड पर पुष्टि की:

(i) प्रदर्श-ए-1/डब्ल्यू-2, श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 18 से 43 पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) का संविधान;

(ii) प्रदर्श-ए-2/डब्ल्यू-2, श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथ-पत्र के पृष्ठ 44 से 56 पर ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) का संविधान;

(iii) प्रदर्श-ए-3 (कॉली)/डब्ल्यू-2, श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 57 से 58 पर एन एल एफ टी द्वारा जारी कर संबंधी 16 परिपत्रों की प्रतियां;

(iv) प्रदर्श-ए-4 (कॉली)/डब्ल्यू-2, श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 79 से 87 पर बांग्लादेशमें स्थित उग्रवादी शिविरों की सूची, एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ की अनुमानित नफरी एवं गोलाबारूद की मात्रा की सूची तथा;

(v) प्रदर्श-ए-5 (कॉली)/डब्ल्यू-2, दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 88 से 95 पर उग्रवादियों से संबद्ध मामलों के आंकड़ों वाली सूची, अगवा एवं अपहृत किए गए

व्यक्तियों की सूची, एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ की संलिप्तता वाले मामलों में 3.10.2009 से जून, 2011 की अवधि के दौरान घायल हुए व्यक्तियों की सूची तथा मारे गए व्यक्तियों की सूची।

आंकडों के अनुसार एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ के विरुद्ध 34 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिनमें 12 व्यक्ति मारे गए थे, 07 व्यक्ति घायल हुए थे तथा 3.10.2009 से जून, 2011 की अवधि के दौरान एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ द्वारा 43 व्यक्तियों का अपहरण किया गया और उन्हें अगवा किया गया था। पृष्ठ 89 से 95 पर प्रदर्श-ए-5 (कॉली)/डब्ल्यू-2 के रूप में इन मामलों के विस्तृत विवरण समाहित हैं। उन्होंने हैतो कुमार त्रिपुरा उर्फ क्वथांग पुत्र स्व. अग्निचरन, त्रिपुरा; भट्टजॉय रियांग उर्फ बियक पुत्र सशधर रियांग तथा; जगदीश देबबर्मा उर्फ जेस्टर उर्फ महादेव पुत्र श्री सुधन्य देबबर्मा की पूछताछ रिपोर्ट की भी पुष्टि की जिन्हें दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 139 से 237 पर सामूहिक रूप से प्रदर्श ए-7 (कॉली)/डब्ल्यू-2 के रूप में चिह्नित किया गया है। श्री जगदीश देबबर्मा की पूछताछ रिपोर्ट ए टी टी एफ से संबंधित है जबकि अन्य दो एन एल एफ टी से संबंधित हैं। उन्होंने न्यायाधिकरण को विशेष पुलिस शाखा, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आसूचना रिपोर्टों को सीलबंद लिफाफों में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जिसमें एन एल एफ टी एवं ए टी टी एफ की कार्रवाइयों से संबद्ध गोपनीय सूचनाएं थीं। उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष बांग्लादेश की सीमा वाले त्रिपुरा का एक मानचित्र भी प्रदर्श-ए-8/डब्ल्यू-2 के रूप में पेश किया जो यह दर्शाता है कि सीमा के उस पार बांग्लादेश में विभिन्न शिविर स्थापित हैं जिनमें लगभग 20 शिविर एन एल एफ टी तथा लगभग 2 शिविर ए टी टी एफ के हैं। एन एल एफ टी से संबद्ध शिविरों को हरे चक्रों से चिह्नित किया गया है तथा ए टी टी एफ से संबद्ध शिविरों को नारंगी चक्रों से चिह्नित किया गया है। इसके पश्चात् उन्होंने रैश्यावाड़ी पुलिस थाने में आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की धारा 364 ए/34 के तहत दिनांक 04.10.2011 की प्राथमिकी (एफ आई आर) सं. 16/2011 की तथा भा.दं.सं. (आई पी सी) की धारा 120 बी/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 125 (1ए) एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10/13 के तहत चाउमानू पुलिस थाने में दिनांक 19.01.2012 की प्राथमिकी (एफ आई आर) सं. 1/2012 की दो प्रमाणित प्रतियों क्रमशः प्रदर्श पी-2/1 तथा प्रदर्श पी-2/2 के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए।

अपने शपथ-पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि एन एल एफ टी एक भूमिगत आतंकवादी संगठन है। इसने अपना संविधान निर्मित किया है और टैक्स नोटिस जारी किए हैं। इस संविधान की प्रतियां लुक-छिपकर एवं गुप्त रूप से त्रिपुरा राज्य में परिचालित की गई हैं। इसी प्रकार, लुक-छिपकर एवं गुप्त रूप से टैक्स नोटिस, इनमें उल्लिखित नाम वाले व्यक्तियों को वितरित किए गए हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि उपर्युक्त संविधान, टैक्स नोटिसों जैसे दस्तावेज, राज्य में डयूटी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बरामद किए गए हैं और साक्ष्य के रूप में बयान किए गए तथ्य पुलिस द्वारा रिकार्ड की गई विभिन्न प्राथमिकियों (एफ आई आर), जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों तथा राज्य की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संग्रहीत की गई आसूचना रिपोर्टों से इकट्ठे किए गए है। अंत में उन्होंने यह भी बयान दिया कि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ की गतिविधियां अब भी जारी हैं। अपनी भावी गतिविधियों के विस्तार हेतु इन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकी समूहों तथा संगठनों से हाथ मिला लिया है।

सरकारी गवाह-3, श्री किरन शंकर चौधरी, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना बुधजंग नगर, त्रिपुरा ने भी साक्ष्य (सबूत) के रूप में दिनांक 27.02.2012 का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श पी-3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा है कि वे श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 96 पर संलग्न प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-3, पुलिस थाना बुधजंग नगर में दर्ज दिनांक 20.12.2009 की प्राथमिकी सं. 43/2009 के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने शपथपत्र में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 02.10.2009 को बंदूकों से लैस 4/5 अज्ञात ए टी टी एफ उग्रवादी श्री नरेन्द्र देबबर्मा, पुत्र स्व. बिश्वा च. देबबर्मा निवासी-ग्राम पुनिराम सरदार पाड़ा, पुलिस थाना: बोधजंग नगर के घर में घुस गए और श्री नरेन्द्र देबबर्मा को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। श्रीमती मल्लिका देबबर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र देबबर्मा से प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना: बोधजंग नगर में दिनांक 20.12.2009 को भा.दं.सं. की धारा 364 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मामला सं. 43/2009 के रूप में एक प्राथमिकी (एफ आई आर) दर्ज की गई थी। उक्त मामले में उनके (श्री चौधरी) द्वारा जांच की गई है।

उन्होंने साक्ष्य के तौर पर भा.दं.सं. की धारा 148/149/353/307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (ए) एवं 27 के तहत पुलिस थाना मुंगियाकामी में दर्ज दिनांक 17.11.2009 की प्राथमिकी संख्या 14/2009 प्रस्तुत की, जो कि प्रदर्श ए-6.2(कॉली)/डब्ल्यू-3 है और श्री

एस.के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 98 पर अनुलग्नक-6 (कॉली) के रूप में संलग्न है। उन्होंने उल्लेख किया है कि दिनांक 15.11.2009 को छठी बटालियन द्वारा टी एस आर कलाई बस्ती के समीप एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। लगभग 1530 बजे खोजी दल का एक कार्मिक सुरेन देबबर्मा उर्फ सुभय गोटांग की अगुवाई में एन एल एफ टी उग्रवादियों के एक समूह द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। टी एस आर कार्मिकों ने भी अपनी जान एवं हथियारों के बचाव में जवाबी गोलाबारी की। यह गोलीबारी लगभग 5 मिनट तक चली। गोलीबारी बंद हो जाने के पश्चात उग्रवादियों को पकड़ने हेतु इलाके की छानबीन की गई। खोज-बीन के दौरान एक देशी बंदूक बरामद हुई। टी एस आर कार्मिकों की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वे इस घटना के बारे में जानते हैं क्योंकि यह घटना नजदीकी पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में घटी थी। उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) श्री अभिजित सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 148/149/353/307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-बी) (क)/27 के तहत दिनांक 17.11.2009 को मामला सं. 14/2009 के रूप में पुलिस थाना-मुंगियाकामी में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सरकारी गवाह-4, पुलिस थाना नटुन बाजार, जिला गोमती, त्रिपुरा में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात श्री दीपेन्द्र देबबर्मा ने साक्ष्य के तौर पर अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श-पी-4 के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने भा.दं.सं. की धारा 365 और आयुध अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत पुलिस थाना नटुन बाजार में दर्ज की गई दिनांक 30.06.2011 की प्राथमिकी सं. 21/2011, प्रदर्श-ए-6.1(कॉली)/डब्ल्यू -4 के रूप में प्रस्तुत की, जिसे श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ -102 पर अनुलग्नक-6 (कॉली) के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया कि 29.06.2011 को नटुन बाजार पुलिस थाना इलाके से हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह द्वारा कुल छह व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था। इस संबंध में 30.06.2011 को श्री दीनो के आर. रियांग नामक व्यक्ति की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के आधार पर, पुलिस थाना नटुन बाजार में दिनांक 30.06.2011 को भा.दं.सं. की धारा 365 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मामला सं. 21/2011 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त मामले की जांच उनके (श्री दीपेन्द्र देबबर्मा) द्वारा की गई थी।

एक अन्य घटना में दिनांक 10.12.2010 को श्री रंजीत देबबर्मा, रठियाबाड़ी बी एस एफ शिविर के नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती बाड़ से दूर फसल उठाने गया था। पूर्वोक्त घटना के संबंध में सूचना उसे श्रीमती सुशीला देबबर्मा, पत्नी श्री रंजीत देबबर्मा से दिनांक 13.12.2010 को प्राप्त हुई थी। वे इस घटना के बारे में जानते हैं क्योंकि यह घटना नजदीकी पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में घटित हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर, पुलिस थाना कारबुक में भा.दं.सं. की धारा 364/ए/34 के अंतर्गत दिनांक 13.12.2010 के मामला सं. 13/2010 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिनांक 13.12.2010 की प्राथमिकी सं. 13/2010, पुलिस थाना कारबुक की प्रति प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-4 के रूप में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की गई है। इसे राज्य की ओर से दायर दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के साथ पृष्ठ सं. 100 पर अनुलग्नक-6(कॉली) के रूप में संलग्न किया गया है।

सरकारी गवाह-5 पुलिस अधीक्षक, कैलाशहर, जिला उनाकोटि, त्रिपुरा के कार्यालय में रिजर्व अधिकारी के रूप में तैनात पुलिस उप निरीक्षक श्री काजल रुद्र पाल ने प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-5 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा-148/149/302/326 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस थाना कंचनपुर में दिनांक 10.11.2009 को मामला सं. 78/2009 में दर्ज प्राथमिकी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जो श्री एस.के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ 104 पर है। उन्होंने उल्लेख किया कि वे (स्वयं) इस मामले के जांच अधिकारी हैं। यह प्राथमिकी दिनांक 09.11.2009 को हुई एक घटना से संबंधित है, जब लगभग 2230 बजे आधुनिक आग्नेयास्त्रों से लैस एन एल एफ टी (बी एम) उग्रवादियों के एक समूह ने ग्राम भंडारिमा तथा पुशराम पर धावा बोल दिया। उग्रवादी समूह ने कई एक ग्रामीणों को उनके घर से जबरन बाहर निकाला और आठ (8) व्यक्तियों को पुष्पाराई पाड़ा से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित लाओगैंग्टुई पाड़ा में मार दिया। किसी गयारोंग देयांग को गोली से चोट लगी थी। इस संबंध में दिनांक 10.11.2009 को श्री मदन मोहन रेयांग की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कंचनपुर में भा.दं.सं. की धारा-148/149/302/326 तथा आयुध अधिनियम की धारा-27 के तहत 10.11.2009 के मामला सं. 78/2009 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अगली घटना दिनांक 01.04.2010 की है, जब इलाके में उग्रवादियों की हलचल के बारे में एक स्रोत सूचना प्राप्त होने पर टी एस आर कार्मिकों का एक दल छोईगारपुर, सिमानापुर तथा

जोएमोनी पाड़ा इलाके में विशेष अभियान का संचालन कर रहा था। लगभग 1740 बजे एन एल एफ टी उग्रवादियों ने टी एस आर कार्मिकों पर अचानक गोली बरसानी शुरू कर दी। टी एस आर कार्मिकों ने भी ए के-47 एवं 5.56 इंसास राइफलों से गोलीबारी का जवाब दिया। टी एस आर कार्मिकों द्वारा कुल बारह राउण्ड गोलियां चलाई गईं। उक्त घटना के संबंध में श्री नरेन्द्र देबबर्मा की ओर से दिनांक 02.04.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी है क्योंकि यह घटना कंचनपुर पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना कंचनपुर में भा.दं.स. की धारा 148/149/353/307 के तहत दिनांक 02.04.2010 के मामला सं.23/2010 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस थाना:कंचनपुर में दर्ज दिनांक 02.04.2010 की उक्त प्राथमिकी सं. 23/2010 की एक प्रति, प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-5 के रूप में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की गई है जो कि राज्य की ओर से दायर दिनांक 27.01.2012 के शपथपत्र के पृष्ठ-106 पर अनुलग्नक - 6(कॉली) के रूप में संलग्न है।

त्रिपुरा राज्य द्वारा अगले गवाह पी डब्ल्यू-6 के रूप में श्री नकुल देबबर्मा, उप-निरीक्षक, पुलिस थाना कैलाशहर, त्रिपुरा को पेश किया जिन्होंने साक्ष्य के रूप में दिनांक 27.02.2012 का अपना शपथपत्र, प्रदर्श पी-6 प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे भा.दं.सं. की धारा 148/149/365 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस थाना कंचनपुर में दर्ज मामला सं.98/2010 के जांच अधिकारी हैं। दिनांक 26.11.2010 को पटलंगराई आँगनवाड़ी केन्द्र स्थित कार्य स्थल से एन एल एफ टी उग्रवादियों ने बंदूक की नोक पर तीन मजदूरों को अगवा कर लिया था। उग्रवादियों की संख्या 5 थी। किसी अब्दुल सत्तार नामक व्यक्ति से दिनांक 26.11.2010 को इस बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के. आधार पर पुलिस थाना-कंचनपुर में भा.दं.सं. की धारा 148/149/365 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 26.11.2010 के मामला सं. 98/2010 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-6 के तौर पर प्रस्तुत किया गया। उक्त को राज्य की ओर से दायर किए गए दिनांक 27.01.2012 के शपथ-पत्र के पृष्ठ 109 पर अनुलग्नक-6 (कॉली) के रूप में संलग्न किया गया है। इस मामले में उनके द्वारा जांच की गई है।

इसके बाद उन्होंने बयान दिया कि दिनांक 31.01.2011 को लगभग 10.30 बजे प्रात: भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती बाड़ लगाने संबंधी कार्य के स्थल-प्रभारी, श्री जी. एम. मणि वाहन सं. टी आर 01 एस - 0482 द्वारा कार्य स्थल का दौरा करने गए थे। उक्त वाहन सावरम पाड़ा सीमा चौकी से दक्षिण-पश्चिम में लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर कुछ अज्ञात उग्रवादियों द्वारा चलायी गई गोलीबारी की चपेट में आ गया। श्री जी.एम. मणि की गोली लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा ड्राईवर श्री नारायण के दोनों पैरों में गोली लगी। उपर्युक्त घटना के संबंध में श्री आर. मिश्र की ओर से दिनांक 31.01.2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त मामले की पी डब्ल्यू-6 द्वारा की गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना कंचनपुर में भा.दं.सं. की धारा 148/149/326/302/307 के अंतर्गत दिनांक 31.01.2011 को मामला सं. 12/2011 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिनांक 31.01.2011 की उक्त एफ आई आर सं. 12/2011 की, पुलिस थाना कंचनपुर की प्रति साक्ष्य के रूप में प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-6 के तौर पर प्रस्तुत की गई है, जो राज्य की ओर से दायर दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 111 पर अनुलग्नक-6 (कॉली) के रूप में संलग्न है।

अगले गवाह पी डब्ल्यू-7 के रूप में श्री गणेश सीएच. देब, उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बास्सा, जिला धलाई, त्रिपुरा हैं। उन्होंने अपना दिनांक 27.02.2012 का हलफनामा प्रदर्श पी-7 के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वे पुलिस थाना चाउमानु में दर्ज दिनांक 14.11.2009 की एफ आई आर सं. 20/2009, जो प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-7 है, के जांच अधिकारी हैं। यह दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे में पृष्ठ 113 पर श्री एस.के. नन्दी के प्रदर्श ए-6 कॉली के रूप में संलग्न है। उक्त एफ आई आर का संबंध दिनांक 13.11.2009 की एक घटना से है, जब लगभग रात्रि 8 बजे उग्रवादियों के एक समूह ने थालचेरा बाजार की एक दुकान से श्री सानाजॉय त्रिपुरा और श्री लक्ष्मी चरण चकमा का अपहरण कर लिया। इस संबंध में दिनांक 14.11.2009 को श्री बिन्दा त्रिपुरा से शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अंतर्गत पुलिस थाना चाउमानु में दिनांक 14.11.2009 को एक मामला सं. 20/2009 दर्ज किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें इस घटना की जानकारी है क्योंकि उक्त घटना चाउमानु पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में हुई थी।

पी डब्ल्यू-7 ने तत्पश्चात् भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/353/326/302/307 के अंतर्गत पुलिस थाना चाउमानु में दर्ज दिनांक 06.08.2010 की एफ आई आर सं. 14/2010, जो श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 118 पर अनुलग्नक ए-6 (कॉली) के रूप में संलग्न है, के बारे में अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने बताया कि दिनांक 06.08.2010 को लगभग 0900 बजे 1 उप-निरीक्षक और 9 जवानों की एक बी एस एफ पार्टी एन पी सी सी कामगारों की सुरक्षा में लगी थी। उग्रवादियों के एक समूह ने आई ई डी चलाकर और तत्पश्चात् हथगोलों को फेंकते हुए उपर्युक्त सुरक्षा दल पर हमला बोल दिया। इस हमले के कारण, प्रथम गाईड कांस्टेबल बजरंगी और दूसरे स्थान पर मौजूद कांस्टेबल अरूप दास को जानलेवा चोटें आईं। कांस्टेबल बजरंगी की इन चोटों के कारण घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बी एस एफ दल ने भी जवाबी गोलियां चलाई जिसके कारण उग्रवादी भाग खड़े हुए। उक्त घटना के संबंध में एक शिकायत दिनांक 06.08.2010 को कमांडेंट, 101 बटालियन, बी. एस. एफ. से प्राप्त हुई। उक्त मामले की जांच पी डब्ल्यू-7 द्वारा की गई है।

पी डब्ल्यू-8, श्री शुभ्रांग्शु भट्टाचार्जी, उप निरीक्षक, पुलिस थाना नेपालटिल्ला, धलाई, त्रिपुरा ने साक्ष्य के तौर पर अपना दिनांक 29.02.2012 का हलफनामा प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श पी-8 है। वे, श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे में पृष्ठ 129 पर अनुलग्नक ए-6 (कॉली) के रूप में संलग्न, प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-8, भारतीय दंड संहिता की धारा 365 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस थाना गंडाचेरा में दर्ज दिनांक 13.08.2010 की एफ आई आर मामला सं. 29/2010 तथा श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे में पृष्ठ 124 पर अनुलग्नक ए-6 (कॉली) के रूप में संलग्न, प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-8, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस थाना रैश्याबाड़ी में दर्ज दिनांक 31.08.2010 की एफ आई आर मामला सं. 13/2010, की जांच कर रहे हैं।

पहली एफ आई आर का संबंध दिनांक 11.08.2010 की घटना से है, जब लगभग अपराह्न 2/3 बजे उग्रवादियों ने बंदूक की नोक पर भारत-बांग्लादेश सीमा से भारतीय भू-भाग में लगभग 100 मीटर भीतर झूम टोंग हट से दो व्यक्तियों का अपहरण कर लिया और उन्हें बांग्लादेश ले गए। उग्रवादियों के समूह ने एक मांग-नोटिस छोड़ा जिसमें उल्लेख था कि यदि 15 अगस्त तक गांव-वासियों ने प्रति परिवार 1,200/-रु. की दर से चंदा नहीं दिया तो अपहृत व्यक्ति छोड़े नहीं जाएंगे। इस संबंध में एक शिकायत दिनांक 13.08.2010 को श्री चैतन्य रियांग से प्राप्त हुई।

प्राप्त शिकायत के आधार पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस थाना गंडाचेरा में दिनांक 13.08.2010 को मामला सं. 29/2010 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पूर्वोक्त मामले की जांच पी डब्ल्यू-8 द्वारा की जा रही है।

दूसरी एफ आई आर का संबंध दिनांक 29.08.2011 की घटना से है, जब लगभग 1900 बजे, 7/8 एन एल एफ टी उग्रवादियों के एक समूह ने भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक पाँच व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर तब अगवा कर लिया जब वे अपनी जमीन पर झूम खेती के लिए एक टोंग घर में ठहरे हुए थे। उग्रवादियों के समूह ने कुछ धमकीभरे पत्र सौंपे जिनमें यह कहा गया था कि उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को राजस्व के तौर पर 1000/- रु. एन एल एफ टी के उग्रवादी समूह को देना होगा अन्यथा अपहृत व्यक्ति मार दिए जाएंगे। उक्त घटना की शिकायत दिनांक 31.08.2010 को श्री उनाजॉय त्रिपुरा से प्राप्त हुई। उन्हें इस घटना की जानकारी थी क्योंकि यह घटना नजदीक के पुलिस थाने की क्षेत्राधिकार में हुई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 31.08.2010 को रैश्याबाड़ी पुलिस थाना मामला सं. 2010 का 13 के रूप में पुलिस थाना रैश्याबाड़ी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई (प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-8)।

पी डब्ल्यू-9, श्री सुजीत बर्मन, उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बास्सा, धलाई, त्रिपुरा ने प्रदर्श पी-9 के रूप में अपना दिनांक 27.02.2012 का हलफनामा प्रस्तुत किया है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 435 के अंतर्गत पुलिस थाना गंगानगर में दर्ज दिनांक 01.07.2010 के मामला सं. 9/2010 की एफ आई आर प्रस्तुत की है जिसके प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-9, जो श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे में पृष्ठ 130 पर अनुलग्नक ए-6 (कॉली) के रूप में संलग्न है, के वे जांच अधिकारी भी हैं। वे बताते हैं कि 30.06.2010 को, एन एल एफ टी उग्रवादियों ने सीमावर्ती सड़क और सीमा पर बाड़ के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही एक वोल्वो-210 और डोज़ार-डी-80 मशीनों को आग लगा दी। दोनों मशीनों का बाज़ार मूल्य 1,20,000,00/- रु. है। इस संबंध में श्री माणिक चौधरी से एक शिकायत दिनांक 01.07.2010 को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 435 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2010 के गंगानगर पुलिस थाना मामला सं.

2010 का 09 के रूप में पुलिस थाना गंगानगर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। उक्त मामले की जांच पी डब्ल्यू-9 द्वारा की गई है।

त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत अगला पुलिस गवाह राधापुरी पुलिस थाना, पश्चिमी त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक श्री मनोरंजन देबबर्मा, पी डब्ल्यू-10 थे, जिन्होंने साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श पी-10 के रूप में अपना दिनांक 27.02.2012 का हलफनामा प्रस्तुत किया। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-10 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/333/307 के अंतर्गत पुलिस थाना धुमाचेरा में दिनांक 18.11.2009 को दर्ज मामला सं. 5/2009 की एफ आई आर प्रस्तुत की। उक्त को श्री एस. के. नंदी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 115 पर अनुलग्नक ए-6 (कॉली) के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-10 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/333/307 के अंतर्गत पुलिस थाना मानु में दर्ज दिनांक 22.02.2010 की एफ आई आर 13/2010 प्रस्तुत की, जो श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे में पृष्ठ 121 पर अनुलग्नक 6 (कॉली) के रूप में संलग्न है।

प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-10 का संबंध दिनांक 18.11.2009 की घटना से है। दिनांक 18.11.2009 को लगभग 0830 बजे सशस्त्र उग्रवादियों ने आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल सुरक्षा कार्मिकों के एक दल पर गोलियां चलाईं। दोनों तरफ से गोलाबारी लगभग 10/15 मिनट तक चली। सुरक्षा बल के दो कार्मिक उक्त घटना में घायल हो गए। इस संबंध में एक शिकायत दिनांक 18.11.2009 को श्री चैतन्य रियांग से प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/333/307 के अंतर्गत दिनांक 18.11.2009 को धुमाचेरा पुलिस थाना मामला सं. 2009 का 05 के रूप में पुलिस थाना धुमाचेरा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

पी डब्ल्यू-10 द्वारा जांच की गई दूसरी एफ आई आर का संबंध दिनांक 22.02.2010 की घटना से है। उन्होंने बताया कि उस दिन लगभग 0900 बजे, एन एल एफ टी उग्रवादियों के एक समूह और टी एस आर कार्मिकों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी में टी एस आर की 8वीं बटालियन के एक कांस्टेबल आशीष घोष को गोलियों से पेट में गंभीर चोटें आईं। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 22.02.2010 को टी एस आर के श्री सिरी रून्डा से शिकायत प्राप्त हुई। पी डब्ल्यू-10

को इस घटना की जानकारी है क्योंकि यह घटना नजदीक के पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में घटित हुई थी।

पी डब्ल्यू-11, श्रीमती मल्लिका देबबर्मा पत्नी स्व. नरेन्द्र देबबर्मा, पुनीराम सरदार पारा, पुलिस थाना बोधजंग नगर, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस थाना बोधजंग नगर में दर्ज दिनांक 20.12.2009 के मामला सं. 43/2009 से संबंधित एफ आई आर, श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 96 पर प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-3, में मुखबिर हैं। अपनी पहचान के लिए साक्ष्य के तौर पर, उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16.01.2007 को जारी अपना मूल चुनाव पहचान-पत्र कार्ड सं. जी के एन 0367045 प्रस्तुत किया। मूल कार्ड को देख लिया गया है और लौटा दिया गया है। उक्त की प्रति, पी डब्ल्यू-11/1 के रूप में चिह्नित है। उन्होंने उल्लेख किया कि पुलिस को सूचना उन्होंने इसलिए दी कि ए टी टी एफ उग्रवादियों ने उनके पति का अपहरण कर लिया था।

पी डब्ल्यू-12, श्री माणिक चौधरी पुत्र श्री अल्कास मियां निवासी कुंजाबन अगरतला, त्रिपुरा एक सिविल कान्ट्रैक्टर हैं। अपनी पहचान के लिए, उन्होंने साक्ष्य के तौर पर त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी मूल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसका नम्बर टी आर-0120084900 था, प्रस्तुत किया। उक्त को देख लिया गया है और लौटा दिया गया है। इसकी प्रति, प्रदर्श पी डब्ल्यू-12/1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने बताया कि वे भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाए जाने के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) के लिए एक उप-संविदा निष्पादित कर रहे थे। धलाई जिले में माल्धा कुमार पाड़ा में कार्य के दौरान, उनकी मशीनों अर्थात् एक वोल्वो 2010 और डोजर डी-80 मशीनों को आग लगा दी गई। उस क्षेत्र में, एन एल एफ टी सक्रिय है। तत्पश्चात्, उन्होंने गंगानगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 235 के अंतर्गत 01.07.2010 को मामला सं. 9/2010 से संबंधित एफ आई आर दर्ज करायी। प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-9, जो श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 22.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 131 पर है। उन्होंने आगे यह बयान दिया कि अभी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि ठेकेदारों के सामने समस्याएं आ रही हैं और आतंकवादी संगठन अर्थात् एन एल एफ टी से धमकियां मिल रही हैं।

पी डब्ल्यू-13, श्री अभिजीत सरकार पुत्र स्व. ब्रजेन्द्र कुमार सरकार, डी-कम्पनी, VIठी बटालियन, टी एस आर, तुलाशिखर चौकी में सूबेदार के पद पर तैनात हैं। उनकी रेजीमेंट सं. 97041082 है। नवम्बर, 2009 में, जब वह सुखदेव पाड़ा चौकी, जो पुलिस थाना मुंगियाकामी के अंतर्गत है,

में तैनात थे, एक सूचना मिली कि सुरेन देबबर्मा उर्फ सुबई गोटोंग के नेतृत्व में एन एल एफ टी उग्रवादी उस क्षेत्र में मौजूद हैं। वह त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टी एस आर) की छठी बटालियन के 29 व्यक्तियों के साथ आगे बढ़े और अभियान का संचालन किया। उन्हें भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा जिसका जवाब दिया गया। तथापि, एन एल एफ टी उग्रवादी भाग खड़े हुए। उनका गाइड देशी पिस्तौल रखे हुए था। ए के-47 राइफल की 2 राउंड सहित 22 राउंड गोलियां चलीं। उन्होंने इसकी सूचना, आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख) (क)/27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/353/307 के अंतर्गत दिनांक 17.11.2009 की एफ आई आर सं. 14/2009 के तहत मुंगियाकामी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को दी। प्रदर्श ए-6.2 (कॉली)/डब्ल्यू-3, उक्त एफ आई आर की प्रति है, जो श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 98 पर है।

पी डब्ल्यू-14, श्री बाबुल दास, जिला धलाई, त्रिपुरा के अम्बास्सा पुलिस थाने में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। उनके पहचान-पत्र की संख्या 53/2011 है। 18.11.2009 को वह धुमाचेरा पुलिस थाने में तैनात थे। सूचना मिली कि एन एल एफ टी का एक उग्रवादी छात्राभंगा जमातिया अपने समर्थकों के साथ फिरौती वसूल रहा है और धुपचारी से लोगों के अपहरण की योजना बना रहा है। उक्त आतंकवादी को पकड़ने के लिए वह पुलिस दल के साथ गए। उन पर गोलियां चलाई गई और जान-माल की सुरक्षा हेतु उन्हें गोलियों का जवाब देना पड़ा। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में उनके दो व्यक्ति घायल हो गए। दिनांक 18.11.2009 की उनकी सूचना के आधार पर पुलिस थाना धुमाचेरा में आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/333/307 के अंतर्गत दिनांक 18.11.2009 की एफ आई आर सं. 5/2009 दर्ज की गई। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना धुमाचेरा में दर्ज दिनांक 18.11.2009 की एफ आई आर सं. 5/2009 की प्रति पृष्ठ 115 पर प्रदर्श ए-6.1 (कॉली)/डब्ल्यू-10 है। उनकी शिकायत/सूचना की प्रति प्रदर्श पी डब्ल्यू-14/1 है, जो श्री एस. के. नन्दी के दिनांक 27.01.2012 के हलफनामे के पृष्ठ 116-117 पर है।

उपर्युक्त सभी गवाहों, अर्थात् पी डब्ल्यू-2 से पी डब्ल्यू-10 ने संबंधित पुलिस थाने में रखी हुई उनके द्वारा प्रमाणित एफ आई आर की मूल कार्बन प्रतियां प्रस्तुत कीं, जिन्हें देखा गया और लौटा दिया गया, तथा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफ आई आर) की प्रमाणित प्रतियों को रिकार्ड में रख लिया गया।

दिनांक 6 मार्च, 2012 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निदेशक श्री जे.पी.एन. सिंह पेश हुए और उनका साक्ष्य पी डब्ल्यू-15 के रूप में रिकार्ड कर लिया गया। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर अपना दिनांक 16.2.2012 का हलफनामा प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श पी-15 के रूप में चिह्नित कर लिया गया। उन्होंने एक सीलबंद लिफ़ाफ़ा भी प्रस्तुत किया जिसमें गोपनीय दस्तावेज थे, जिनके बारे में यह कहा गया कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना, जिसके तहत एन एल एफ टी और ए टी टी एफ को उनके विंगों और संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था, को जारी करने के आधार हैं। सीलबंद लिफाफे को न्यायालय में खोला गया। इसमें निम्नलिखित केन्द्रीय सुरक्षा संगठनों और त्रिपुरा राज्य सरकार से प्राप्त टिप्पणियां/विचार हैं:

1.	त्रिपुरा सरकार	पृष्ठ 86 से 534
2.	रक्षा मंत्रालय	पृष्ठ 535
3.	महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	पृष्ठ 538
4.	महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल	पृष्ठ 540
5.	आसूचना ब्यूरो	पृष्ठ 541-552, और
6.	मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग)	पृष्ठ 553

उक्त लिफाफे के दिनांक 5.3.2012 के सहपत्र को प्रदर्श पी-15/1 के रूप में चिह्नित किया गया।

दिनांक 16.2.2012 के हलफनामे में दिए गए अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान एन एल एफ टी और ए टी टी एफ द्वारा की गई हिंसा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

<u>एन एल एफ टी</u>

	घटनाएं	मारे गए कुल व्यक्ति	मारे गए सुरक्षा कार्मिक	अपहरण
2011 (31 जुलाई)	8	1	-	28
2010	27	2	2	30
2009	16	9	1	16
2008	54	10	3	40
2007	72	12	3	57
2006	56	23	11	35

<u>ए टी टी एफ</u>

	घटानाएं	मारे गए कुल व्यक्ति	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	अपहरण
2011 (31 जुलाई)	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2008	12	1	-	4
2007	18	7	3	8
2006	24	4	3	3

यह उल्लेख किया जाता है कि संगठन की कार्यशैली के प्रति इसके काडरों के मोहभंग, इसके नेताओं के अंहकारपूर्ण रवैये तथा हिंसा के विरुद्ध व्याप्त जनमत के कारण ए टी टी एफ द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान हिंसा की घटनाओं में हालांकि काफी कमी आई है, किन्तु वे बांग्लादेश के दूरवर्ती चित्तागोंग पहाड़ी में अभी भी शिविर लगाए हुए हैं तथा उन्होंने हथियारों के अपने भंडार को बरकरार रखा हुआ है। ए टी टी एफ पूर्ववर्ती त्रिपुरी साम्राज्य के भारत में विलय का भी विरोध कर रहे हैं तथा एक पृथक एवं प्रभुसत्तासम्पन्न देश की मांग कर रहे हैं।

त्रिपुरा राज्य ने श्री एस. के नन्दी, ज्वाइंट रेजीडेंट कमीशनर, त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली से पूछताछ की अनुमति के लिए एक आवेदन किया है। आवेदन में यह कहा गया है कि श्री नन्दी ने अधिकरण के समक्ष दो शपथपत्र नामत: दिनांक 22.12.2011 का सेवा शपथपत्र तथा दिनांक 27.1.2012 के साक्ष्य के तौर पर शपथपत्र प्रस्तुत किए थे। यह उल्लेख किया गया कि त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत गवाह के साक्ष्य को दिनांक 02.03.2012 को अगरतला में दर्ज कर लिया गया था, जिस दिन इन शपथपत्रों के अभिसाक्षी, श्री एस. के. नन्दी अपरिहार्य कारणों से मौजूद नहीं थे। इस आवेदन पर दिनांक 19.03.2012 को सुनवाई हुई।

उक्त आवेदन हेतु इस तथ्य के मद्देनजर अनुमति प्रदान कर दी गई थी कि अभिकरण की रिपोर्ट विचारणाधीन थी तथा आवेदन को बिना किसी विलंब के आगे भेज दिया गया ताकि किसी भी पक्ष, विशेषकर ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी, जिन्होंने इन कार्यवाहियों में भाग न लेने का निर्णय लिया है, को पूर्वाग्रह न हो। तदनुसार, श्री एस. के. नन्दी, ज्वांइट रेजीडेंट कमीशनर,

त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली, जो स्वयं वहां उपस्थित थे, के बयान को पी डब्ल्यू-16 के रूप में अलग से दर्ज कर लिया गया। उन्होंने प्रदर्श पी-16/1 के रूप में अपना दिनांक 22.12.2011 का सेवा संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श पी-16/2 के रुप में अपना दिनांक 27.01.2012 का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया।

त्रिपुरा राज्य की ओर से विद्वान वकील श्री गोपाल सिंह तथा केन्द्र सरकार की ओर से विद्वान वकील श्री सुमित पुष्करन ने शपथपत्रों तथा पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू-16 तक के साक्ष्य के प्रति अपना विश्वास जताया। सीलबंद लिफाफों, जिन्हें खोल लिया गया है तथा ध्यान से पढ़ा गया है, की सामग्री को भी विश्वसनीय पाया गया। तथापि, प्रस्तुत दस्तावेज़ों/सामग्री की संवेदनशीलता को देखते हुए, इन दस्तावेज़ों/सामग्री की विषय-वस्तु के बारे में बताना उचित नहीं होगा।

जमात-ए-इस्लामी हिन्द बनाम भारत संघ (1995) 1 एस सी सी 428 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी संगठन को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के न्यायनिर्णयन के समय यह निर्णय दिया कि जब कभी जन हित में अपेक्षित हो अधिकरण द्वारा अधिनियम की स्कीम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए सूचना के स्त्रोत तथा उससे संबंधित संपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

मैंने प्रस्तुत साक्ष्य को देखा है तथा केन्द्र सरकार एवं त्रिपुरा सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त दस्तावेज़ों, एफ आई आर, रिपोर्टों एवं इन्पुट्स की जांच की है। संक्षेप में केन्द्र सरकार तथा त्रिपुरा राज्य निम्नलिखित कारणें से एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने संबंधी उदघोषणा की अवधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं :

1. त्रिपुरा को भारत से पृथक किए जाने संबंधी नीति का एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ द्वारा निरन्तर समर्थन;

2. भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में सतत रूप से संलिप्तहोना ;

3. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से निरंतर हिंसा एवं आतंक का सहारा लेना;

4. व्यापारियों, कारोबारियों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित आम जनता से जबरन धन वसूली एवं अवैध कर वसूलना;

5. पाकिस्तानी एजेंसी इंटर सर्विसेज़ इनटेलीजेंस तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ विद्रोही गुटों के साथ नजदीकी संबंध; तथा

6. पडोसी देशों में शरण स्थलों, सुरक्षित ठिकानों तथा प्रशिक्षण शिविरों को सतत रूप से बनाए रखना।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 के खंड (ण) एवं (त) में 'विधिविरुद्ध गतिविधि' तथा 'विधिविरुद्ध संगम' की परिभाषाएं दी गई हैं जो निम्नानुसार है:-

(ण) "किसी व्यक्ति अथवा संगम के संबंध में" "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संगम द्वारा किए गए किसी कार्य (चाहे वह किसी कृत्य को करते हुए, अथवा मौखिक या लिखित रूप से अथवा चिन्हों या प्रत्यक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से अथवा अन्यथा)से है:-

(i) जिसका इरादा, किसी भी आधार पर, भारतीय भू-भाग के किसी हिस्से को अलग करने अथवा भारतीय भू-भाग के किसी हिस्से को संघ से पृथक करने का हो अथवा जो ऐसे किसी दावे का समर्थन करता हो, या जो किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को ऐसे अलगाववाद या पृथकतावाद के लिए प्रेरित करता है।

(ii) जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करता हो अथवा इसका विरोध करता हो या इसे भंग करता हो अथवा इसे भंग करने की मंशा रखता हो; अथवा

(iii) जो भारत के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करता हो या ऐसा करने का इरादा रखता हो;

(त) "विधिविरुद्ध संगठन" से तात्पर्य किसी ऐसे संगठन से है-

(i) जो अपने उद्देश्य के लिए विधिविरुद्ध गतिविधि चलाता है अथवा जो व्यक्तियों को ऐसी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है अथवा उन्हें इसके लिए सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधियाँ करते हैं; अथवा

(ii) जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी गतिविधि चलाता है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 153 क या धारा 153 ख के तहत दंडनीय हो, अथवा जो व्यक्तियों को ऐसी विधिविरुद्ध गतिविधि को चलाने के लिए प्रेरित करे या उनकी सहायता करे, या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधियों को अंजाम दें;

बशर्ते कि उप खंड (ii) में निहित कोई भी बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नही होगी;"

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि खंड (ण) में परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का अर्थ इसमें उल्लिखित 'किसी ऐसी कार्रवाई' से है, जिसके उल्लिखित परिणाम हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति अथवा/संगम द्वारा की गई किसी कार्रवाई, जो 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' हो, में परिभाषाओं में विनिर्दिष्ट सम्भावना होनी चाहिए। इन तथ्यों का निर्धारण ही किसी संगम को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विधिविरुद्ध घोषित करने का आधार होता है। उक्त अधिनियम के खंड (त) में 'विधिविरुद्ध संगम' को इसके उप खंड (i) में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, तथा उप-खंड (II) में इसका संदर्भ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क या धारा 153-ख के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से है। उप-खंड (II) में वस्तुपरक निर्धारण भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क अथवा 153-ख के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संदर्भ में है जबकि उप-खण्ड (I) में यह खण्ड (ण) में यथा परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के संदर्भ में है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रश्न का निर्धारण, कि क्या कोई संगम "विधिविरुद्ध संगम" है अथवा बन गया है, इस बात से होता है कि क्या इस प्रकार के संगम द्वारा किया गया 'कोई कृत्य' 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' है जो इस संगम का उद्देश्य है।

प्रदर्श ए-1/डब्ल्यू2 के रुप में प्रदर्शित, एन एल एफ टी के संविधान के अनुसार, संगठन का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए त्रिपुरा की बोरोक सभ्यता की एक अलग एवं पृथक पहचान स्थापित करना है। इसी प्रकार, प्रदर्श ए-2/डब्ल्यू-2 पर प्रदर्शित ए टी टी एफ के संविधान के अनुसार संगठन का लक्ष्य एवं उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अपनी सम्पूर्ण ताकत से एक

अलग राष्ट्र की स्थापना करना है जिसमें पूर्वोत्तर के सात राज्य अर्थात् त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय शामिल होंगे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दोनों संगठनों की विचारधारा पृथकतावादी है जिसका लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों को भारत संघ से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना है ताकि उन्हें इस अधिनियम की धारा (2) (ण) तथा 2 (त) के दायरे में लाया जा सके।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि आत्म-समर्पण करने वाले आतंकवादियों से प्राप्त सूचना तथा उनसे की गई पूछताछ संबंधी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में फिलहाल एन एल एफ टी के 12 तथा ए टी टी एफ के 5 शिविर मौजूद हैं। इन संगठनों अर्थात् एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ की हिंसक गतिविधियां जारी हैं तथा ये जबरन धन वसूली, अपहरण तथा हथियारों की तस्करी में लगे हुए हैं। यद्यपि, उनके अधिकतर नेता तथा काडर बांग्लादेश में हैं किन्तु वे अपने जबरन धन वसूली संबंधी अपराधों को धलाई तथा उत्तरी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी रखे हुए हैं। हाल ही में प्राप्त सूचना भी यह दर्शाती है कि ए टी टी एफ तथा एन एल एफ टी के शीर्ष नेता ढ़ाका सहित बांग्लादेश के महत्वपूर्ण शहरों में सुरक्षित रूप से रह रहे हैं तथा उन्होंने व्यावसायिक उद्यम स्थापित कर लिए हैं और उन्होंने स्वयं को वहां के स्थानीय सामाजिक परिवेश में ढाल लिया है। एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ दोनों ही अलगाववादी/विध्वंसक गतिविधियों को तीव्र करने के लिए निरंतर अपने काडरों को लामबंद करते रहते हैं। त्रिपुरा को शेष भारत से पृथक करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करने संबंधी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जबकि एन एल एफ टी अपनी शुरूआत से ही एक पृथक राष्ट्र की मांग कर रहा है, वहीं ए टी टी एफ की अलगाववादी प्रवृत्तियाँ इसके राजनीतिक विंग त्रिपुरा पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (1997 में स्थापित टी पी डी एफ), जो एक सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करता है, की उत्पत्ति के कारण और अधिक स्पष्ट हो गई हैं। ये दोनों संगठन सशस्त्र विद्रोह तथा प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार उखाड़ फैंकने संबंधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लेने में विश्वास रखते हैं। ये दोनों गुट राष्ट्रीय दिवसों को मनाने का बहिष्कार करते हैं तथा इन दिनों पर "बंद" का आह्वान करते हैं। ये संगठन भारत की प्रभुसत्ता तथा राष्ट्र की अखंडता के लिए शत्रुवत बलों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करते हैं। ये संगठन अपनी वित्तीय जरुरतों को पूरा करने के लिए आम नागरिकों/सरकारी अधिकारियों से जबरन धन वसूली/उनके अपहरण द्वारा तथा सरकार की विभिन्न निधियों/परियोजनाओं से धन

एकत्र करते हैं। एन एल एफ टी द्वारा पहले भी माणिकपुर, धलाई, कंचनपुर, चाउमानू, गढ़चिरैया, गंगानगर, रैश्यावाड़ी पुलिस थाना क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा सीमा पर बाड़ लगाने वाले कामगारों को निशाना बनाया गया है जिसमें छः व्यक्ति (पांच सीमा सुरक्षा बल कार्मिक तथा 1 एन पी सी सी मजदूर) मारे गए थे तथा 7 अन्य (5 सीमा सुरक्षा बल कार्मिक, 2 एन पी सी सी मजदूर) घायल हो गए थे। इन संगठनों द्वारा ठेकेदारों तथा सीमा पर बाड़ लगाने वाले मजदूरों का निरंतर अपहरण किया जाता रहा है। वर्ष 2010 के दौरान एन एल एफ टी ने दो अलग-अलग घटनाओं में, 15 संविदा ठेके पर काम करने वाले मजदूरों का अपहरण किया। विगत लगभग एक वर्ष के दौरान हुई 5 घटनाओं में से तीन घटनाओं में फिरौती की राशि का भुगतान न किए जाने के कारण ठेके पर काम करने वाले 7 मजदूरों सहित 14 ग्रामीणों का अपहरण किया गया।

श्री गोपाल सिंह तथा श्री पुष्करन ने यह तर्क दिया कि इन गुटों पर से प्रतिबंध हटा लिए जाने से इन संगठनों को त्रिपुरा क्षेत्र में फिर से एकजुट, पुनः संगठित होने एवं स्वयं को पुनः स्थापित करने का मौका मिल जाएगा जो सुरक्षा बलों के अभियानों के लिए तथा समूहों पर सतत रूप से दवाब बनाए रखने के संबंध में घातक सिद्ध होगा। दूसरी ओर सटीक अभियानों के परिणामस्वरुप उन्हें बातचीत के लिए तथा आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा।

एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ से किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व न होने के कारण, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार एवं उनके गवाहों के बयान बरकरार रहे तथा उन्हें सिद्ध हुआ मान लिया गया है।

गवाहों ने हिंसा की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनका विवरण पहले ही ऊपर दिया जा चुका है, जो एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ के न केवल देश के कानून के प्रति विमुखता के सुव्यवस्थित प्रयासों के जरिए स्थानीय निवासियों के बीच आतंक फैलाने अपितु राष्ट्र की सुरक्षा एवं भारत की अखंडता को गंभीर खतरा उत्पन्न करने संबंधी गतिविधियों के पुख्ता सबूत हैं तथा इस प्रकार एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने संबंधी दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना को तर्कसंगत बताया है।

रिकॉर्ड में उपलब्ध उक्त सामग्री तथा राज्य एवं भारत संघ की ओर से विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के उपरांत यह अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्र सरकार का मत जिसके परिणामस्वरूप 03.10.2011 की अधिसूचना जारी की गई थी, उस अकाट्य एवं

संगत सामग्री पर आधारित है जो अधिनियम की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र द्वारा एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने को तर्कसंगत ठहराता है। अधिसूचना में बताए गए आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री तथा दस्तावेज़ों द्वारा पूर्णतया समर्थित हैं।

अधिकरण की यह राय है कि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ की विधिविरुद्ध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, इन संगठनों पर पहले लगाए गए प्रतिबंध को औचित्यपूर्ण ठहराने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इन संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के संबंध में 03 अप्रैल, 1997 से जारी अधिसूचनाओं के बावजूद ये संगठन अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं।

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के विषय में कहते हुए, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि केन्द्र सरकार का यह निष्कर्ष न्यायसंगत है कि एन एल एफ टी तथा ए टी टी एफ शकितशाली पृथकतावादी आतंकी संगठन हैं। इस विश्लेषण में यह अधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2299 (ड.) के तहत की गई घोषणा की पुष्टि करता है।

(न्यायमूर्ति विपिन सांघी)

मार्च 26, 2012

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)

अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2012

S.O. 1040(E).— In terms of section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order, dated 26.3.2012, of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Vipin Sanghi, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities

(Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful is published for general information:

[F. No. 11011/64/2011-NE-III]
SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

PRESIDED OVER BY

HON'BLE MR. JUSTICE VIPIN SANGHI

In Re: **National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force Association**

REPORT OF THE TRIBUNAL CONSTITUTED BY THE GOVERNMENT OF INDIA VIDE ITS NOTIFICATION NO. SO.2427(E) DATED 24.10.2011

To curb and control the anti nation activities of The National Liberation Front of Tripura and All Tripura Tiger Force Association (hereinafter referred to as the 'NLFT' and "ATTF") i.e. to establish a separate country by secession of Tripura from the Indian Union, which are detrimental to the sovereignty and integrity of India, the Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) vide notification No.S.O.2299 (E) dated 3.10.2011 declared the NLFT and ATTF along with all their factions, wings and front organizations as unlawful associations.

The Notification dated 3.10.2011 published in the Official Gazette issued by the Government of India in the Ministry of Home Affairs, is as under :-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2011

1. **S.O. 2299(E)**- Whereas, the National Liberation Front of Tripura and the various wings thereof (hereinafter referred to as the NLFT) and All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) have as their professed aim, to establish an independent nation by secession of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organizations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from India;

2. And whereas, the ATTF and its political wing the Tripura Peoples Democratic Front have been protesting against merger of Tripura into Indian Union and have been issuing joint statement with some other Under Ground outfits of North Eastern Region criticizing merger of Tripura into India as 'illegal' and upholding the 'sovereignty and independence' of the State of Tripura;

3. And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have:-

Been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives;
Established linkages with other unlawful associations, viz, the National Democratic Front of Boroland, United Liberation Front of Assam and Meitei Extremist outfits of Manipur with the aim of mobilising their support;
In pursuance of their aims and objectives in recent past engaged in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

4. And whereas, the Central Government is also of the opinion that their violent and unlawful activities include,-

Killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;
Extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;
Establishing and maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc;
Causing and fomenting communal clashes between the Tribal and non-tribal communities in Tripura;

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) along with all its factions, wings and front organizations and the All Tripura Tiger Force (ATTF) along with all its factions, wings, and front organizations to be as unlawful associations;

6. And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the NLFT and the ATTF they will take the opportunity to,-

Mobilise their cadres for escalating their secessionist, subversive and violent activities;
Propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
Indulge in killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;
Procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border;
Extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities;

7. And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF along with all their factions, wings and front organizations as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of

the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 11011/64/2011-NE-III]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

As provided in Section 5(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the 'UA Act' in short), I was appointed by the Government of India as one-man Tribunal vide its Notification No. S.O. 2427(E) dated 24th October, 2011, and the Notification dated 3rd October, 2011 was referred by the Central Government to me for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the NLFT and ATTF organizations as unlawful associations.

On receipt of the Reference, a preliminary hearing was held on 18th November, 2011 on which date Notices were directed to be issued to the NLFT and ATTF to show cause within 30 days from the date of service of such notice as to why it be not declared unlawful. Notices were directed to be served on the aforesaid Associations at the addresses, as may be available, by publication in two local newspapers, published in the locality where the associations have their establishments or presence as known in the State of Tripura and outside as well as in electronic media (Radio, Doordarshan and official website of the State of Tripura) and also by affixing a copy thereof at conspicuous parts of the office, if any, of the said

associations and by serving a copy of such notice where possible on the principal office bearers, if any, of the associations at their addresses by registered post or otherwise. At the request of Mr.Gopal Singh, Advocate for the State of Tripura, notices were directed to be published in "Daily Desher Katha" and "Dainik Sanbad", two local newspapers. It was further directed that proclamation shall also be made by beat of drums as well as by loudspeakers in the areas about the contents of the notice and notification of the constitution of the Tribunal in areas where the activities of the said associations are ordinarily carried on. Notices were also directed to be pasted on the notice boards of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil and the office of the Deputy Commissioner and market places, as feasible. The next date fixed was 22nd December, 2011.

On 22nd December, 2011 Mr.J.P.N.Singh, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi filed an affidavit confirming that the notices issued by the Tribunal have been given wide publicity as directed by the Tribunal. A copy of the press release in Bengali and copies of the newspaper clippings i.e. "Daily Desher Katha" dated 29.11.2011 and "Dainik Sanbad" dated 29.11.2011 were also enclosed with the affidavit.

Mr. S.K.Nandi, Joint Residence Commissioner, Government of Tripura, also filed an affidavit of service dated 22.12.2011, Ex.P-16/1. True copies of the service report sent by the administration of various Districts were also enclosed with the said affidavit. Notices were also published in five local

newspapers i.e Dainik Sanbad, Daily Desher Katha, Bibek, Pradibadi Kalam and Ajkaal, copies whereof were annexed with the said affidavit, wide publicity was given through All India Radio, Agartala and Doordarshan, Agartala. However, notices could not be directly served upon the office bearers of the organizations or at their respective offices, since location of such offices or office bearers were stated to be not known.

After going through the affidavits of service filed and hearing counsel for the Union of India and the Government of Tripura, I was satisfied that the notices issued to the NLFT and ATTF had been duly served in the manner ordered. Since none appeared on behalf of the NLFT and ATTF, and no reply/objections were filed for and on behalf of NLFT and ATTF, the Central and State Governments were directed to file their affidavits by way of evidence along with documents. Affidavit by way of evidence for and on behalf of the State of Tripura was filed on 27.01.2012 by Sh. S.K. Nandi, Joint Resident Commissioner, Govt. of Tripura, Exhibit P-16/2, and affidavit by way of evidence for and on behalf of the Central Government was filed on 16.02.2012 by Sh. J.P.N. Singh, Director to the Govt. of India in the Ministry of Home Affairs, Exhibit P-15. On 16th February, 2012 the following issue was framed:

"Whether or not there is sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) as unlawful associations."

The matter was listed for recording of evidence on 2nd and 3rd March, 2012 at Agartala, State of Tripura.

In the affidavits filed by the Central Government and the State of Tripura, both have highlighted the background in which the Notification was passed declaring the NLFT and the ATTF as Unlawful Associations under the Act.

In order to demonstrate that there was enough material before the Central Government to form the aforesaid opinion and to record satisfaction that the NLFT and the ATTF are rightly declared as Unlawful Associations, Mr.J.P.N.Singh, Director Ministry of Home Affairs, Government of India, deposed in his affidavit that the NLFT was formed in June, 1989 and the ATTF was formed in 1993. The professed aim of these associations is to establish a separate country by secession of Tripura from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organizations of the North Eastern Region which amounts to unlawful activity under section 2(o)(i) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The NLFT and the ATTF were initially declared as Unlawful Associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from 3rd April, 1997 and thereafter the period of declaration of these Associations had been extended from time to time. The Headquarters of NLFT and ATTF are in Bangladesh and the organizations have hideouts and shelters in that country from where the violent incidents in Tripura have been planned and executed by them. NLFT maintains close nexus with other North East insurgent groups particularly the National Socialist Council of Nagaland (Issac-Muivah) and National Democratic Front of Boroland (NDFB) and ATTF has close links with United Liberation Front of Asom (ULFA), the People's Liberation Army (PLA) of

Manipur and Kamtapur Liberation Organisation (KLO) for procurement of arms and training facilities. These organizations also allegedly maintain links with ISI of Pakistan.

Mr.J.P.N.Singh also categorically stated that both, NLFT and ATTF believe in using violence as a mean to achieve their goal of over throwing the democratically elected government of Tripura. NLFT generally targets non-tribals and police/security forces personnel but they do not hesitate in attacking tribals who oppose their anti national drive. Violent activities of ATTF had shown significant decrease during the last few years due to differences among its leaders but they are not ready for negotiations on the pretext that they would participate only if the talks are held on sovereignty of Tripura in the presence of a representative of United Nations.

Mr. J.P.N. Singh with its affidavit has filed as Annexures A-1 to A-5 the details of the incidents of violence committed by the NLFT and ATTF. These incidents have also been mentioned in the affidavit filed on behalf of the State of Tripura, Ex.P-16/2 and will be dealt with at a later stage.

To justify their case that the NLFT and the ATTF are still engaged in war against the Government of India using arms against the security forces engaged in lawful duties, unlawful activities like extortion, kidnapping for ransom, killing of innocent people etc., Mr.S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, has filed an affidavit for and on behalf of the State Government of Tripura, Exhibit P-16/2 alongwith copies of the Constitution of the NLFT and the ATTF, extortion/tax notices, list of

extremist camps situated in Bangladesh, their strength and fire power, chart showing statistics of extremist related cases during the period of last two years, copies of FIRs lodged in various Police Stations in connection with the crimes committed by these organizations and true copies of interrogation reports of arrested/surrendered militants.

A sitting of the Tribunal was held in Agartala on 2nd March, 2012 when the evidence of the following 14 witnesses was recorded:

1. Sh.Saradindu Chaudhuri, Deputy Secretary, Home Deptt. Government of Tripura, PW-1;
2. Sh.Uttam Kumar Majumder, Superintendent of Police, Special Branch, Tripura, PW-2;
3. Sh.Kiran Sankar Chowdhury, Sub inspector of Police, PS Budhjung Nagar, Tripura, PW-3;
4. Sh.Dipendra Debbarma, Sub Inspector of Police, PS Natunbazar, Tripura, PW-4;
5. Sh.Kajal Rudra Paul, Sub Inspector of Police, Reserce officer, office of Superintendent of Police, Kailasahar, Tripura, PW-5;
6. Sh.Nakul Debbarma, S.I., PS Kailasahar, Tripura, PW-6;
7. Sh.Ganesh Ch. Deb, S.I., PS Ambassa, Dhalai, Tripura, PW-7;
8. Sh.Subhrangshu Bhattacharjee, S.I. PS Nepaltilla, Dhalai, Tripura, PW-8;
9. Sh.Sujit Barman, S.I., PS Ambassa, Dhalai, Tripura, PW-9;
10. Sh.Manoranjan Debbarma, Inspector of police, PS Radhapur, West Tripura, PW-10;
11. Smt. Malika Debbarma, PW-11;
12. Sh.Manik Chowdhury, PW-12;

13. Sh. Abhijeet Sarkar, PW-13 and;

14. Sh.Babul Das, S.I. PS Ambassa, Dhalai Distt, PW-14.

PW-1, Sh.Saradindu Chaudhuri, Deputy Secretary, Home Deptt. Government of Tripura, tendered an affidavit dated 27.02.2012 which was exhibited as P-1. To prove service of notice upon NLFT and ATTF, he proved:

(i) letters confirming service of notice sent by the administration to the various districts, Ex.P-1(colly)/W-1 at pages 4 to 7 of the affidavit dated 22.12.2011 filed on behalf of the State;

(ii) copies of press clippings and notices published in five local newspapers, i.e. "Dainik Sanbad", "Daily Desher Katha", "Bibek", "PradibadiKalam" and "Ajkaal" Exhibit P-2(Colly)/W-1 at pages 8 to 12 of the affidavit of service dated 22.12.2011 filed on behalf of the State,

(iii) copies of letter dated 07.12.2011 confirming the publication and broadcast of notices in newspapers and media, Exhibit P-3(Colly)/W-1 at pages 13 & 14 of the aforesaid affidavit dated 22.12.2011.

In his affidavit filed by way of evidence he reiterated that the State of Tripura, formerly a princely state, was integrated into the Union of India in October 1949. After its merger, Tripura has become an integral part of India. However, to achieve their secessionist aims and objectives, ATTF and NLFT and their factions have illegally adopted a separate Constitution providing for a "Separate 'People's Republic Government" with the trappings of a civilian setup. They have also maintained a separate armed wing with a hierarchical setup on the pattern of the regular army. They are equipped with a large number of lethal weapons, including sophisticated weapons of mass destruction.

He further stated that during the course of investigation, it has emerged that members of ATTF/NLFT along with their factions are involved and responsible for subversive activities. With the objective of achieving their professed aim of establishing an independent 'Borokland Tripura' by 'liberating' Tripura from the Indian Union, the NLFT and ATTF and their factions have been indulging in secessionist and subversive activities which threatens the sovereignty of the country, disturbs public order and development of the State and creates terror among the people. They have procured lethal weapons such as Land Mines, Rocket Launchers, RPGs etc. which they are using against security forces. This has been corroborated by reliable information received from various channels.

He deposed that during the last Republic Day and Independence Day, both the ATTF & NLFT gave a call for boycotting the celebrations and raised black flags in the interior places of Tripura in order to prohibit the public from attending the functions organized for celebrating the occasions.

PW-2 Sh. Uttam Kumar Majumder, Superintendent of Police, Special Branch, Tripura testified the contents of the affidavit dated 27.01.2012 filed by way of evidence, Exhibit P-2. He also proved on record:

(i) Exhibit A-1/W-2, the constitution of National Liberation Front of Tripura (NLFT) at pages 18 to 43 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi;

(ii) The constitution of All Tripura Tiger Force (ATTF), Exhibit A-2/W-2 at pages 44 to 56 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi;

(iii) Copies of the 16 tax circulars issued by NLFT, Exhibit A-3 (Colly)/W-2 at pages 57 to 78 of the affidavit dated 27.01.2012

of Sh. S.K. Nandi;

(iv) A list of extremists camps situated in Bangladesh, list of estimated strength and fire power of NLFT and ATTF, Exhibit A-4(Colly)/W-2 at pages 79 to 87 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi, and;

(v) A list containing the statistics of extremist related cases, list of kidnapped and abducted persons, list of injured persons and list of persons killed during the period 03.10.2009 to June 2011 in cases involving NLFT and ATTF, Exhibit A-5(Colly)/W-2 at pages 88 to 95 of the affidavit dated 27.01.2012.

According to the statistics 34 cases were reported against the NLFT and ATTF in which 12 persons were killed, 7 persons were injured and 43 persons were kidnapped and abducted by the NLFT and ATTF during the period from 03.10.2009 to June, 2011. Exhibit A-5 (Colly)/W-2 at pages 89 to 95 contains the detailed particular of these cases. He also proved the interrogation report of Haito Kumar Tripura @ Kwthang, s/o late Agnicharan Tripura; Bhatatjoy Reang @ Biyak, s/o. Sashadhar Reang, and; Jagadish Debbarma @ Jester @ Mahadev, s/o. ShSudhanya Debbarma are collectively marked as Exhibit A-7(Colly)/W-2 at pages 139 to 237 of the affidavit dated 27.01.2012. The interrogation report of Sh. Jagdish Debbarma pertains to ATTF, while the other two pertains to NLFT. He tendered for a perusal of the tribunal, the sealed envelopes containing the intelligence reports prepared by Special Branch of the Police, MHA containing confidential information in relation to the activities of NLFT and ATTF. He produced before the Tribunal a map of Tripura bordering Bangladesh, Exhibit A-8/W-2, which shows the various camps situated across the border in Bangladesh - about 20 camps of NLFT and about 2 camps of ATTF. These camps have

been marked in Green circles in relation to NLFT camps, and in Orange circles in relation to ATTF camps. He then tendered in evidence the certified copies of two FIRs bearing Nos.16/2011 dated 04.10.2011 under Section 364A/34 IPC read with Section 27 of Arms Act registered at Police Station Raishabali and FIR No.1/2012 dated 19.01.2012 registered at P.S. Chawmanu under Section 120B/34 IPC and Section 125 (1A) of the Arms Act and Section 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 as Exhibit P-2/1 and Exhibit P-2/2 respectively.

In his affidavit he stated that the NLFT is an underground extremist organization. It has framed its Constitution and issued Tax Notices. Copies of the Constitution have been circulated in the State of Tripura clandestinely and surreptitiously. Similarly, the Tax Notices have been served upon the recipients named in those notices, clandestinely and surreptitiously. He further stated that the documents i.e. constitution, tax notices mentioned above have been recovered by the Security Agencies in the State during the course of duty and the facts deposed in evidence have been culled out from the various first information reports recorded by the police, statements recorded by the police during investigation and intelligence reports collected by the security agencies of the State.. In the end he deposed that the activities of NLFT & ATTF are still continuing. They have joined hands together with terrorist groups and organizations in the north-east to enhance their activities in future.

PW-3, Mr.Kiran Sankar Chowdhury, Sub Inspector of Police, PS Budhjung Nagar, Tripura also tendered his affidavit dated 27.02.2012 by way of evidence which was exhibited as Exhibit P-3. He deposed that he is the Investigating Officer in FIR No.43/2009 dated 20.12.2009 registered at Police Station Budhjung Nagar, Exhibit A-6.1(Colly)/W-3, annexed at page 96 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi. He explained in the affidavit that on 02.10.2009, 4/5 unknown ATTF extremists armed with gun entered the house of one Sri Narendra Debbarma, s/o Late Biswa Ch. Debbarma of village Puniram Sardar Para, P.S.: Bodjung Nagar and abducted Sri Narendra Debbarma at gun point. On the basis of the complaint received from Smt. Mallika Debbarma, w/o Sri Narendra Debbarma a First Information Report was registered at P.S.: Bodjung Nagar as Case No. 43 of 2009 on 20.12.2009 under section 364 IPC and 27 Arms Act. The investigation in the aforesaid case has been conducted by him.

He also tendered in evidence FIR No.14/2009 dated 17.11.2009 registered at Police Station Mungiakami under Section 148/149/353/307 IPC and 25(1-B)(a) and 27 of the Arms Act, which is Exhibit A-6.2(Colly)/W-3 annexed as Anneuxre-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi at page 98. He explained that on 15.11.2009, a 6th BN TSR was conducting a joint operation near Kalai Basti. At around 1530 hrs the personal of the search party came under heavy firing by a group of NLFT extremist let by Suren Debbarma @ Subai Gotong. The TSR personnel also retaliated by firing back to save their life and arms. The firing lasted for about 5 minutes. After

the stoppage of the firing, the area was searched to nab the extremist. During the search one country made gun was recovered. No casualty took place from the side of TSR personnel. He stated that he is aware of this incident as the incident took place within the jurisdiction of near by police station. On the basis of the information received from Sub GD Abhijit Sarkar, a First Information Report was registered at P.S. Mungiakami as Case No. 14 of 2009 dated 17.11.2009 under section 148/149/353/307 IPC and 25 (1-B) (a)/27 of the Arms Act.

PW-4, Sh.Dipendra Debbarma who is posted as Sub-Inspector of Police Station Natunbazar, District Gomti, Tripura tendered in evidence his affidavit which was marked as Exhibit P-4. He tendered in evidence FIR No. 21/2011 dated 30.06.2011 registered at Police Station Natunbazar under Section 365 IPC and 27 Arms Act, Exhibit A-6.1(Colly)/W-4, which is marked as Annexure-6(colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi at page 102. He stated that on 29.06.2011, total six persons were abducted by a group of armed extremist at gun point from Natun Bazar Police Station area. A complaint in this regard was received from one Shri Dino Kr. Reang on 30.06.2011. On the basis of the complaint received, a First Information Report was registered at P.S. Natun Bazar as Case No. 21 of 2011 on 30.06.2011 under section 365 IPC and 27 Arms Act. The investigation in the aforesaid case has been conducted by him.

In another incident on 10.12.2010, one Shri Ranjit Debbarma went to bring harvest near Rathiabari BSF camp beyond international border fencing. He

was forcefully taken away to Bangladesh by some extremists. A complaint regarding the aforesaid incident was received from the Smt. Sushila Debbarma, w/o Sri Ranjit Debbarma on 13.12.2010. He is aware of this incident as the incident took place within the jurisdiction of near by police station. On the basis of the information received a First Information Report was registered at P.S. Karbook as Case No. 13 of 2010 dated 13.12.2010 under section 364A/34 IPC. A copy of the said FIR No. 13 of 2010 dated 13.12.2010, Police Station: Karbook is tendered in evidence as Exhibit A-6.2 (Colly)/W-4. The same is Annexure-6 (COLLY) to the affidavit dated 27.01.2012 at page no.100 filed on behalf of the State.

PW-5 Sh.Kajal Rudra Paul, posted as Sub-Inspector of Police, Reserve Officer, Office of Superintendent of Police, Kailashahar, Unakoti District, Tripura tendered in evidence the FIR in case No.78/2009 dated 10.11.2009 registered at Police Station Kanchanpur under Sections 148/149/302/326 IPC and 27 of the Arms Act as Exhibit A-6.1(Colly)/W-5, which is at page 104 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi. He stated that he is the Investigating Officer in this case. The FIR relates to an incident dated 09.11.2009, when at around 2230 hrs. a group of NLFT (BM) extremist armed with sophisticated fire arms raided village Bhandarima and Pushram. The extremist group forced number of villagers out of their house and killed eight (8) persons at Laogangtui Para at a distance of about 3 km South West from Pushparai Para. One Gayarong Reang sustained bullet injury on her person. A complaint in this regard was received from one Shri Madan Mohan

Reang on 10.11.2009. On the basis of the complaint received a First Information Report was registered at P.S.: Kanchanpur as Case No. 78 of 2009 on 10.11.2009 under section 148/149/302/326 IPC and 27 Arms Act.

The next incident was of 01.04.2010, when a group of TSR personnel was conducting Special operations duty in the Chhoigarpur, Simanapur and Joymoni Para area on receiving source information regarding movement of extremist in the area. At around 1740 hrs., a group of NLFT extremists suddenly opened fired upon the TSR personnel. The TSR personnel also retaliated by firing back from AK-47 and 5.56 INSAS rifles. Total twelve rounds of ammunitions were fired by the TSR personnel. A complaint regarding the aforesaid incident was received from Sri Narendra Debbarma on 02.04.2010. He states that he is aware of this incident as the incident took place within the jurisdiction of Kanchanpur police station. On the basis of the information received a First Information Report was registered at P.S.: Kanchanpur as Case No. 23 of 2010 dated 02.04.2010 under section 148/149/353/307 IPC. A copy of the said FIR No. 23 of 2010 dated 02.04.2010, Police Station: Kanchanpur has been tendered in evidence as Exhibit A-6.2 (Colly)/W-5 annexed as Annexure-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 at page no.106 filed on behalf of the State.

The next witness produced by the State of Tripura was Sh.Nakul Debbarma, Sub Inspector, PS Kailasahar, Tripura as PW-6, tendered in evidence his affidavit dated 27.02.2012, Exhibit P-6. He submitted that he is the the

Investigating Officer in Case No. 98/2010 registered at Police Station Kanchanpur under Section 148/149/365 IPC and 27 of Arms Act. On 26.11.2010, three labourers had been abducted by NLFT extremists at gun point from work site at Patlangrai AW Centre (Anganwadi Centre). The extremist were 5 in number. A complaint in this regard was received from one Abdul Sattar on 26.11.2010. On the basis of the complaint received a First Information Report was registered at P.S.: Kanchanpur as Case No. 98 of 2010 on 26.11.2010 under section 148/149/365 IPC and 27 Arms Act, tendered in evidence as Exhibit A-6.1 (Colly)/W-6. The same has been annexed as Annexure-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 at page no.109 filed on behalf of the State. The investigation in the aforesaid case has been conducted by him.

He then deposed that on 31.01.2011 at around 10.30 A.M., one Mr. G. M. Mani, Site-in-Charge, Indo-Bangladesh Border Fencing Work, went for site visit in Vehicle No. TR01S-0482. The said vehicle came under fire from some unknown extremist group about 3 K. M. South West from Sawaram Para border out post. Mr. G. M. Mani succumbed to bullet injury at the spot and the driver Mr. Narayan received bullet injury on both his legs. A complaint regarding the aforesaid incident was received from Sri R. Mishra on 31.01.2011. The investigation in the aforesaid case has been conducted by PW-6. On the basis of the information received a First Information Report was registered at P.S. Kanchanpur as Case No. 12 of 2011 dated 31.01.2011 under section 148/149/326/302/307 IPC. A copy of the said FIR No. 12 of

2011 dated 31.01.2011, P.S. Kanchanpur has been tendered in evidence as Exhibit A-6.2 (Colly)/W-6, which is annexed as Annexure-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 at page no.111 filed on behalf of the State.

The next witness is Sh.Ganesh Ch. Deb, Sub Inspector, Police Station Ambassa, Distt. Dhalai, Tripura as PW-7. He tendered his affidavit dated 27.02.2012 as Exhibit P-7. He stated that he is the Investigation officer in FIR No. 20/2009 dated 14.11.2009 registered at Police Station Chawmanu which is Exhibit A-6.1(Colly)/W-7. The same is annexed as Exhibit A-6 Colly to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi at page 113. The said FIR relates to an incident dated on 13.11.2009, when at around 8 P.M. a group of extremists abducted one Sri Sanajoy Tripura and Sri Laxmi Charan Chakma from a shop at Thalcherra Bazar. A complaint in this regard was received from one Shri Binda Tripura on 14.11.2009. On the basis of the complaint received a First Information Report was registered at P.S. Chawmanu as Case No. 20 of 2009 on 14.11.2009 under section 365 IPC. He stated that he is aware of this incident as the incident took place within the jurisdiction of Chawmanu Police Station.

PW-7 then deposed in relation to FIR No. 14/2010 dated 06.08.2010 registered at Police Station Chawmanu under Section 148/149/353/326/302/307 IPC as Exhibit A-6.2(Colly)/W-7, which is annexed as Annexure A-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh.

S.K. Nandi at page 118. He explained that on 06.08.2010 at around 0900 hrs., one BSF party consisting of 1 Sub-Inspector and 9 Jawans were providing protection to NPCC workers. The extremists group attacked the aforesaid security team by activating IEDs followed by throwing of hand grenades. As a result of the attack, constable Bajrangi who was front guide and constable Arup Das who was on second position sustained fatal injuries. Constable Bajrangi died on the spot succumbing to his injuries. The BSF team also retaliated the fire, and as a result the militants ran away. A complaint regarding the aforesaid incident was received from the Commandant, 101 Battalion, B. S. F. on 06.08.2010. The investigation in the aforesaid case has been conducted by PW-7.

PW-8, Sh.Subhrangshu Bhattacharjee, Sub Inspector of Police Station Nepaltilla, Dhalai, Tripura, tendered in evidence his affidavit dated 29.02.2012 which is Exhibit P-8. FIR bearing Case No.29/2010 dated 13.08.2010 registered at P.S. Gandacherra under Section 365 IPC and 27 Arms Act, Exhibit A-6.1 (Colly)/W-8, annexed as Annexure A-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K.Nandi at page 129, and FIR No. bearing Case No.13/2010 dated 31.08.2010 under Sections 364A IPC and Section 27 of the Arms Act, registered at P.S. Raishyabari, Exhibit A-6.2(Colly.)/W-8, which is annexed as Annexure A-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K.Nandi at page 124 are under his investigation.

The first FIR relates to an incident dated 11.08.2010, when at around 2/3 pm armed extremist at gun point abducted two persons from about 100 metre inside Indian Territory from Indo Bangla Border from Jhum Tong Hut and took them to Bangladesh. The extremists group left demand notice which stated that if villagers do not pay subscription @ Rs. 1,200/- per family till 15th August the abducted persons will not be released. A complaint in this regard was received from one Shri Chaityana Reang on 13.08.2010. On the basis of the complaint received a First Information Report was registered at P.S.: Gandacherra as Case No. 29 of 2010 on 13.08.2010 under Section 365 IPC and Section 27 of the Arms Act. The investigation in the aforesaid case has been conducted by PW-8.

The second FIR is of an incident dated 29.08.2011, when at around 1900 hrs., a group of 7/8 NLFT extremists abducted at gun point five persons from near Indo-Bangladesh border while they were staying in a tong ghar for cultivating Jhum on their land. The extremists group handed over few threat letters wherein, it was stated that every family of that area would have to pay Rs.1000/- as revenue to the NLFT extremist group other wise abducted persons would be killed. A complaint regarding the aforesaid incident was received from one Sri Unajoy Tripura on 3108.2010. He is aware of this incident as the incident took place at a police station of nearby jurisdiction. On the basis of the information received a First Information Report was registered at P.S.: Raishyabari as Raishyabari PS Case No. 13 of 2010 dated

31.08.2010 under section 364 A IPC and section 27 of the Arms Act, (Exhibit A-6.2 (colly)/W-8).

PW-9 Sh. Sujit Barman, Sub Inspector, Police Station Ambassa, Dhalai, Tripura tendered his affidavit dated 27.02.2012 as Exhibit P-9. He tendered in evidence the FIR in case No.9/2010 dated 01.07.2010 registered at P.S. Ganganagar under Section 435 IPC, of which he is also the Investigating Officer as Exhibit A-6.1(Colly)/W-9, which is annexed as Annexure A-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K.Nandi at page 130. He states that on 30.06.2010, NLFT extremists set fire on one Volvo-210 and Dozar D-80 machines used for the construction of border road and border fencing. The market value of both the machines are Rs.1,20,000,00/-. A complaint in this regard was received from one Shri Manik Chowdhury on 01.07.2010. On the basis of the complaint received a First Information Report was registered at P.S.: Ganganagar as Ganganagar PS Case No. 09 of 2010 on 01.07.2010 under Section 435 IPC. The investigation in the aforesaid case has been conducted by PW-9.

The next police witness produced by the State of Tripura was Sh. Manoranjan Debbarma, Inspector of Police, Radhapuri Police Station, West Tripura PW-10, who tendered in evidence his affidavit dated 27.02.2012 as Exhibit P-10. He tendered in evidence the FIR in Case No.5/2009 registered at P.S. Dhumacherra Police Station under Section 148/149/333/307 IPC dated 18.11.2009 as Exhibit A-6.1 (Colly)/W-10. The same is annexed as

Anexure A-6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Shri S.K. Nandi at page 115. He also tendered in evidence FIR 13/2010 dated 22.02.2010 registered at P.S. Manu under Section 148/149/333/307 IPC as Exhibit A-6.2(Colly)/W10, which is annexed as Annexure 6 (Colly) to the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi at page 121.

Exhibit A-6.1 (colly)/W-10 relates to an incident dated 18.11.2009. On 18.11.2009, at around 0830 hrs. armed extremist opened fire upon a team of security personnel engaged in counter terrorism operations. The exchange of fire continued for about 10/15 minutes. Two personnel of the security forces were injured in the said incident. A complaint in this regard was received from one Shri Chaityana Reang on 18.11.2009. On the basis of the complaint received a First Information Report was registered at P.S. Dhumacherra as Dhumacherra PS Case No. 05 of 2009 on 18.11.2009 under Section 148/149/333/307 IPC. The investigation in the aforesaid case has been conducted by the present deponent.

The second FIR proved by PW-10 is of an incident dated 22.02.2010. He explained that on that day at around 0900 hrs., exchange of fire took place between a group of NLFT extremists and TSR personnel. In the exchange of fire one constable Ashish Ghosh of 8th BN of TSR sustained serious bullet injury in his abdomen. A complaint regarding the aforesaid incident was received from one Sri Siri Runda of TSR on 22.02.2010. PW-10 is aware of

this incident as the incident took place at a police station of nearby jurisdiction.

PW-11, Smt. Mallika Debbarma w/o late Narendra Debbarma, Puniram Sardar Para, P.S. Bodhjung Nagar is the Informant in FIR bearing Case No.43/2009 dated 20.12.2009 under Sections 364 IPC and 27 Arms Act registered at police station Bodhjung Nagar, Exhibit A-6.1 (Colly)/W-3 at page 96 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi. As proof of her identity, she produce her original Election ID card issued by the Election Commission of India bearing no. GKN 0367045 issued on 16.01.2007. The original has been seen and returned. A copy of the same is marked as PW-11/1. She stated that she had given the information to the police as the ATTF extremist had kidnapped her husband.

PW-12 Sh.Manik Chowdhury s/o Sh.Alkas Miah r/o Kunjaban Agartala, Tripura is a civil contractor. As proof of his identity, he produced his original Driving License bearning No. TR-0120084900 issued by the Govt. of Tripura. The same has been seen and returned. A copy of the same has been tendered as Exhibit PW-12/1. He narrated that he was executing a sub-contract for National Project Construction Corporation (NPCC) for providing border fencing along the Indo-Bangla border. While working in the Maldha Kumar Para in Dhalai Distt., their machines i.e. one Volvo 2010 and Dozer D-80 machines were set on fire. In that area, the NLFT is in operation. He then lodged the FIR bearing case No.9/2010 on 01.07.2010

under Section 235 IPC in Ganganagar Police Station. Exhibit A-6.1 (Colly)/W-9 which is at page 131 of the affidavit dated 22.01.2012 of Sh. S.K. Nandi. He further deposed that no work is being done presently as the contractors are facing problems and threats from the terrorist organization, i.e. NLFT.

PW-13 Sh.Abhijeet Sarkar s/o late Brajender Kumar Sarkar, D-COY, VIth BN. TSR is posted as Subedar in Tulasikhar post. His Regiment No. is 97041082 .In November 2009, he was posted at post Sukhdev Para which comes under Police Station Mungiakami when an information was received that NLFT extremists led by Suren Debbarma @ Subai Gotong were in the area. He proceeded with 29 others of the 6th Battalion of Tripura State Rifles (TSR) and conducted an operation. They encountered heavy fire which was returned. The NLFT extremists, however, fled. Their guide was carrying a country made gun. 22 rounds were fired including 2 rounds of AK-47 rifle. He reported this information to the officer in charge of Police Station Mungiakami vide FIR No. 14/2009 on 17.11.2009 under Section 148/149/353/307 IPC read with Section 25(1B)(a)/27 of the Arms Act. Exhibit A-6.2(Colly)/W-3 is a copy of the said FIR, which is at page 98 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi.

PW 14 Sh.Babul Das is posted as Sub Inspector at Ambassa police station Distt. Dhalia, Tripura. His identity card no. is 53/2011. On 18.11.2009, he was posted at Dhumacherra Police Station. Information was received that

one NLFT extremist Chhattrabhangha Jamatia alongwith his supporters was collecting ransom and planning to abduct people from Dhupchari. To picket the said terrorist, he went along with police party. They were fired upon and they retaliated with fire to save life and property. Two of their men were injured in the exchange of fire. On the basis of his information dated 18.11.2009, FIR No.5/2009 dated 18.11.2009 under Section 148/149/333/307 IPC read with Section 27 of the Arms Act was registered at P.S. Dhumacherra. Copy of the FIR No.5/2009 dated 18.11.2009 registered at P.S. Dhumacherra on the basis of the said information is Exhibit A-6.1(Colly)/W-10 at page 115. A copy of his complaint/information is Exhibit PW-14/1 which is at pages 116-117 of the affidavit dated 27.01.2012 of Sh. S.K. Nandi.

All the above witnesses, i.e. PW-2 to PW-10 produced the original carbon copies of the FIRs proved by them, as maintained in the police station concerned, which were seen and returned, and certified copies of the said FIRs were taken on record.

On 6th March, 2012 Mr.J.P.N.Singh, Director to the Government of India, Ministry of home Affairs appeared and his evidence was recorded as PW-15. He tendered his affidavit dated 16.2.2012 in evidence which was marked as Ex. P-15. He produced a sealed cover containing confidential documents which was stated to be the basis for the issuance of Notification dated 03.10.2011 under section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 declaring NLFT and ATTF alongwith its wings and factions as unlawful

associations. The sealed cover was opened in court. It consists of comments/views received from the following Central Security organizations and the State Government of Tripura:

1.	Government of Tripura	pages 86 to 534
2.	Ministry of Defence	page 535
3.	Directorate General, CRPF	page 538
4.	Directorate General, BSF	page 540
5.	Intelligence Bureau	page 541- 552, and
6.	Cabinet Secretariat (Research & Analysis Wing)	page 553

The covering letter dated 5.3.2012 of the said envelope was marked as Ex.P-15/1.

The violence profile of NLFT and ATTF during the last five years, as detailed in the affidavit dated 16.2.2012 is as under:

NLFT

	Incidents	Total killed	SF killed	Abduction
2011 (31st July)	8	1	-	28
2010	27	2	2	30
2009	16	9	1	16
2008	54	10	3	40
2007	72	12	3	57
2006	56	23	11	35

ATTF

	Incidents	Total Killed	SF killed	Abduction
2011 (31st July)	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2009	-	-	-	-
2008	12	1	-	4
2007	18	7	3	8
2006	24	4	3	3

It is stated that though the number of incidents of violence by ATTF during the last few years has shown significant decrease because of disenchantment among its cadres over the functioning of the outfit and arrogant attitude of its leaders and wide spread public opinion against violence, but they continue to have camps in the remote Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and continue to hold on to their stock of weapons. ATTF has also been protesting against the merger of erstwhile Tripuri Kingdom with India and pressing for a separate and sovereign country.

State of Tripura moved an application seeking permission to examine Sh.S.K. Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhawan, New Delhi. It was stated in the application that Shri Nandi had filed two affidavits before the Tribunal, namely, the affidavit of service dated 22.12.2011 and affidavit by way of evidence dated 27.01.2012. It was stated that the evidence of the witnesses produced by the State of Tripura were recorded at Agartala on 02.03.2012, on which date Sh. S.K. Nandi, the

deponent of these affidavits was not available, due to reasons beyond his control. This application was heard on 19.03.2012.

The said application was allowed considering the fact that the report of the Tribunal was pending consideration, and the application was moved without much delay as also because no prejudice would be caused to any of the parties, particularly, the ATTF and NLFT who have chosen not to participate in these proceedings. Accordingly, the statement of Mr. S.K.Nandi, Joint Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhawan, New Delhi, who was present in person, was recorded separately as PW-16. He tendered his affidavit of service dated 22.12.2011 as Ex.P-16/1. He also tendered in evidence his affidavit dated 27.01.2012 as Ex.P-16/2.

Mr.Gopal Singh, learned counsel for the State of Tripura and Mr.Sumit Pushkarna, learned counsel for the Central Government placed reliance on the affidavits and evidence of PW1 to PW-16. Reliance is also placed on the materials in the sealed covers which have been opened and perused. However, looking to the sensitivity of the documents/materials produced, it may not be appropriate to disclose the contents of the same.

The Supreme Court in ***Jamaat-E-Islami Hind Vs. UOI, (1995) 1 SCC 428,*** held that while adjudicating a notification issued by the government banning an organization as an unlawful association, the Tribunal, keeping in view the scheme of the Act and the Rules framed thereunder, may not

disclose the source of information and the full particulars thereof, whenever required in public interest.

I have gone through the evidence produced and examined the documents, FIRs, reports and inputs received by the Central Government and Government of Tripura from different agencies. To summarise the Central Government and the State of Tripura are claiming extension of the declaration of the NLFT and ATTF as unlawful associations for the following reasons:

1. Continued espousal of the policy of secession of Tripura from India by NLFT and ATTF;
2. Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
3. Continued adoption of violence and terror through armed action as a means for achieving their objectives;
4. Extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even Government employees;
5. Continued nexus with inter Services Intelligence of Pakistan and close links with some of the insurgent outfits of the North Eastern Region; and
6. Continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring countries.

Clauses (o) and (p) of Section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 contain definitions of 'unlawful activity' and 'unlawful association'

respectively, and they read as follows :-

"(o) "unlawful activity", in relation to an individual or association means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise), –

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or

(iii) which causes or is intended to cause disaffection against India;"

"(p) "unlawful association" means any association, –

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or

(ii) which has for its object any activity which is punishable under Section 153A or Section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity;

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu & Kashmir;"

It is clear from the above definitions that an 'unlawful activity' defined in clause (o) means 'any action' taken of the kind specified therein and having the consequences mentioned. In other words, 'any action' taken by such individual or association constituting an 'unlawful activity' must have the

potential specified in the definitions. Determination of these facts constitute the foundation for declaring an association to be unlawful under sub-section (1) of Section 3 of the Act. Clause (p) defines 'unlawful association' with reference to 'unlawful activity' in sub-clause (i) thereof, and in sub-clause (ii) the reference is to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the Indian Penal Code. In sub-clause (ii), the objective determination is with reference to the offences punishable under Section 153-A or Section 153-B of the IPC while in sub-clause (i), it is with reference to 'unlawful activity' as defined in clause (o). These definitions make it clear that the determining test of the question whether any association is, or has become, an "unlawful association", is whether 'any action' taken by such association constitutes an 'unlawful activity' which is the object of the association.

According to the constitution of NLFT, exhibited as Ex.A-1/W-2, the primary objective of the organization is to establish, with armed struggle, a distinct and independent identity of the Borok civilization of Tripura. Similarly, in the constitution of ATTF, exhibited as Ex.A-2/W-2, the motive and objective of the organization, inter alia, is to form a separate country consisting of seven sister States of North East, viz. Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh and Meghalaya, by using all their forces. The aforesaid clearly shows that both the organizations have a secessionist ideology, to segregate north eastern States from Union of India and form a separate country, thus, bringing them within the purview of Section 2(o) & 2 (p) of the Act.

The investigation reports submitted by the Central Government reveals that as per inputs and interrogation reports of surrendered militants, at present 12 NLFT camps and 5 ATTF camps are available in Bangladesh. These groups i.e. NLFT and ATTF have continued their violent activities and indulge in extortion, kidnappings and smuggling of weapons. Though most of their leaders and cadres are in Bangladesh, they continue to carry out extortion related crimes in the border areas of Dhalai and North districts. Recent inputs also indicate that top leaders of ATTF and NLFT enjoy safe havens in the important cities of Bangladesh including Dhaka and have established business ventures and well enmeshed themselves in the local social fibre. Both the NLFT and the ATTF continue to mobilize their cadres for escalating secessionist/subversive activities. There has been no change in their means to achieve their ends of separation of Tripura from rest of India and creation of a separate country. While NLFT has been demanding a separate country since its inception, the secessionist tendencies of ATTF became more pronounced with the emergence of its political wing Tripura People's Democratic Front (TPDF founded in 1997) talking of national freedom through an armed movement. Both these outfits believe in armed revolution and the use of violence as a means to achieve their goal of over throwing the democratically elected government. Both these outfits have also been boycotting observance/celebration of national days and giving calls for "Bandhs" on these days. These organizations propagate anti national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity. They collect funds through extortion/kidnapping of private citizens/Govt. Officials and from various funds/projects of the Government

to meet their financial needs. The NLFT has continued to target BSF personnel and border fencing workers in the past in Manikpur, Dhalai, Kanchanpur and Chawmanu, Gandhacherra, Ganganagar, Raishyabri PS areas in which six persons (5 BSF, 1 NPCC workers) were killed and seven other (5 BSF, 2 NPCC workers) injured. Abduction of contractors and labourers engaged in border fencing has continued by these outfits. During 2010 the NLFT in two separate incidents, abducted 15 contract workers. Out of 5 incidents in the last about one year, 14 villagers including 7 contract workers were kidnapped in three separate incidents over non- payment of extortion money.

It has been contended by Mr. Gopal Singh and Mr. Pushkarna that lifting of ban would provide opportunity to these outfits to re-group, re-organise and re-establish in the Tripura region which in turn would be detrimental to the operations of the Security Forces and the continued pressure on these groups. On the other hand, well calibrated operations would bring them to negotiations and will compel them to surrender.

In the absence of any representation from NLFT and ATTF, entire material placed by the Central Government as well as State Government including the depositions of their witnesses remain un-re butted and is taken as having been proved.

The witnesses have mentioned various incidents of violence, details of which are already noted above, which are sufficient proof of activities of NLFT and ATTF of not only spreading terror among the local inhabitants, through systematic attempts of subverting the law of the land, but also of posing a grave threat to the national security and integrity of India and

thereby justifying the issuance of the Notification dated 03rd October, 2011 declaring the NLFT and ATTF as unlawful associations.

After considering the aforesaid material placed on record and the arguments advanced by learned counsel for the State as well as the Union of India, this Tribunal is satisfied that the opinion formed by the Central Government resulting in issuance of the Notification dated 03.10.2011 is based on cogent and relevant material justifying exercise of its power under Section 3(1) of the Act by declaring NLFT and ATTF as Unlawful Associations. The grounds which are stated in the Notification have been duly supported by the material and documents on record.

This Tribunal is of the opinion that there is sufficient material to justify that the ban imposed earlier should continue, to check and control the unlawful activities of the NLFT and ATTF. Despite Notifications being issued since 3rd April, 1997 onwards declaring them to be Unlawful Associations, they are continuing their unlawful activities.

Predicated on the material presented before the Tribunal, I am satisfied that the Central Government is justified in arriving at the conclusion that NLFT and ATTF continues to remain strong separatist terrorist movement. In this analysis this Tribunal confirms the declaration made by the Central Government vide Notification S.O. 2299 (E) dated 03rd October, 2011.

(Justice Vipin Sanghi)
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

March 26, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.